



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2017/वैशाख 21, 1939

No. 197]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2017/VAISAKHA 21, 1939

भारतीय बीमांकक संस्थान

अधिसूचना

मुंबई, 11 मई, 2017

फा. सं. एम-18012/03/2008-आईएनएस- III.—कतिपय विनियमों का प्रारूप अर्थात्, भारतीय बीमांकक संस्थान, (सदस्यों के रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि, संदेय फीस, अवैतनिक सदस्य, संबद्ध सदस्य, विद्यार्थी सदस्य, और व्यवसाय प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना) विनियम, 2016 भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक एम-18012/03/2008-आईएनएस-III, तारीख 12 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतीलीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद् द्वारा विचार कर लिया गया है।

अतः भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ड), खंड (च), और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमांकक संस्थान (सदस्यों के रूप में प्रवेश और व्यवसाय प्रमाणपत्र का जारी किया जाना) विनियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. परिभाषाएं-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) (क) "अधिनियम" से बीमांक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "व्यवसाय प्रमाणपत्र" से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन बीमांक के रूप में व्यवसाय करने के लिए का हकदार है, जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "अवैतनिक सचिव" से भारतीय बीमांक संस्थान परिषद् का अवैतनिक सचिव अभिप्रेत है;

(घ) "संस्थान" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय बीमांक संस्थान अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं तो किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, अधिनियम या ऐसे नियम या विनियम में उनका है।

## 3. संस्थान की सदस्यता के लिए अर्हताएं—

(1) (क) कोई व्यक्ति, जो इस विनियम में विनिर्दिष्ट परीक्षा में अर्हित होता है, संस्थान के संबद्ध या अध्येता सदस्य के रूप में अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करने का हकदार है।

(ख) संस्थान, अपने सदस्यों के लिए सुगम रीति में, उपविनियम (1) में निर्दिष्ट परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा :

परंतु किसी अध्ययन पत्र या परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण में कोई संशोधन, परिवर्तन या फेरफार संस्थान की वेबसाइट पर अधिसूचना की तारीख के पश्चात् कम से कम तीन मास तक प्रभावी रहेगा।

(2) (क) परीक्षा का आयोजन ऐसी रीति में और ऐसे समय और स्थान पर होगा जैसा परिषद् या परिषद् द्वारा प्राधिकृत समिति या व्यक्तियों का समूह समय-समय पर विनिश्चय करे।

(ख) समिति या समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति इस विनियम के अधीन परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित परीक्षकों की एक सूची बनाए रखेगा।

(3) (क) किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई आवेदन ऑनलाइन या अनुसूची 'ज' के प्रारूप ड में किया जाएगा।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ विनियम 6 के उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी फीस संलग्न होगी जिससे वह समय से और परिषद् द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार संस्थान में पहुंच जाए और संस्थान, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अनुसूची झ के प्ररूप ट में परीक्षा प्रवेशपत्र जारी करेगा।

4(क) परिषद् या परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत समिति या व्यक्ति लेखबद्ध किए जाने वाले किसी पर्याप्त कारण से किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश करने से इंकार कर सकेगा या उसे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो मामले की परिस्थितियों में युक्त युक्त समझी जाएं किसी परीक्षा में प्रवेश दे सकेगा अन्यथा लेखबद्ध किए जाने वाले किसी पर्याप्त कारण से किसी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश देने से इंकार कर सकेगा या सामान्य अनुक्रम में परीक्षा भवन में उसके प्रवेश करने के पश्चात् उसे वहां से निष्कासित कर सकेगा:

परंतु किसी अभ्यर्थी को, सुनवाई का अवसर दिए बिना परीक्षा में प्रवेश करने से इंकार या परीक्षा भवन से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि किसी अभ्यर्थी की परीक्षा भवन में या उसके पास विच्छूल व्यवहार की रिपोर्ट की जाती है या किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने या उसमें विघ्न डालने के प्रयोजन के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेने या सहारा लेने का प्रयत्न करने के बारे में रिपोर्ट की जाती है तो परिषद् या उसके द्वारा प्राधिकृत समिति या व्यक्ति, इस प्रभाव की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो वह अभ्यर्थी का परीक्षा प्रमाणपत्र रद्द किया जाना या उसकी विद्यार्थी सदस्यता रद्द करना अन्यथा दोनों, सहित ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो वह ठीक समझे कर सकेगा, परंतु अभ्यर्थी को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित करने के पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(ग) परिषद् या परिषद् द्वारा प्राधिकृत समिति या व्यक्ति द्वारा पारित किसी आदेश का, प्रभावित अभ्यर्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर परिषद् द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और परिषद् का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधित व्यक्तियों पर आबद्धकारी होगा।

(घ) किसी अभ्यर्थी द्वारा संदत्त परीक्षा फीस का, परिषद् या उसके द्वारा प्राधिकृत समिति या व्यक्ति द्वारा जारी मागदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कतिपय परिस्थितियों में प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(5) (क) प्रत्येक परीक्षा में घोषित सफल अभ्यर्थियों की सूची, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए जाने के

पश्चात् संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी:

परंतु संस्थान अभ्यर्थियों को भी व्यक्तिगत रूप से उनके परिणाम की सूचना दे सकेगा।

(ख) परिषद् या उसके द्वारा प्राधिकृत समिति, अपवादिक परिस्थितियों में और प्रायिक त्रुटियां उद्भूत होने से किसी विशिष्ट प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होने वाले मानकों को बनाए रखने के लिए, सभी अभ्यर्थियों या अभ्यर्थियों के किसी वर्ग द्वारा अभिप्राप्त अंकों या ग्रेडों को पुनरिक्षित कर सकेगी या ऐसी रीति से जो वह आवश्यक समझे, संकलित कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण** – इस खंड के प्रयोजनों के लिए "वर्ग" पद ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवर्ग के प्रतिनिर्देश हैं जो परिषद् द्वारा यथा उपवर्णित क्रियायत मानदंडों को पूरा करते हैं।

(6) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां यह पाया जाता है कि किसी परीक्षा का परिणाम गलती अनाचार, कपट, अनुचित आचरण या किसी प्रकृति की अन्य विषय वस्तु से द्वारा प्रमावित किया गया है वहां परिषद् या उसके द्वारा प्राधिकृत समिति को ऐसे परीक्षा परिणाम का ऐसी रीति में जो स्थिति के अनुसार सही हो और ऐसी घोषणा करने के लिए जैसा परिषद् इस निमित्त आवश्यक समझे, संशोधन करने की शक्ति होगी:

परंतु किसी अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जिसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े:

परंतु यह और कि किसी ऐसी गलती की दशा में, जो किसी अभ्यर्थी की ओर से किए गए किसी कार्य या व्यतिक्रम से उद्भूत नहीं हुई है, अभ्यर्थी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली संशोधन संबंधी कार्यवाहियां परिणाम की घोषणा की तारीख से एक मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरंभ नहीं की जाएगी।

(7) प्रत्येक अभ्यर्थी जिसने इस विनियम के अधीन कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, अनुसूची के प्ररूप छ भूमि में इस प्रभाव की एक पालन रिपोर्ट देगा।

#### 4. अध्येता सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता--

(1) किसी व्यक्ति को अध्येता सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा यदि--

(क) उसने विनियम 3 के अधीन अध्येता सदस्यता के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है;

(ख) उसने ऐसा वृत्तिक या अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा कर लिया है जो परिषद् द्वारा समय समय पर बताए जाएं; और

(ग) उसके पास ऐसा सुसंगत कार्य अनुभव हो जो परिषद् द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(2) संस्थान द्वारा भारत के बाहर अवस्थित अन्य बीमांकक निकायों के साथ किए गए पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) के अधीन अध्येता सदस्य के रूप में प्रवेश की ईप्सा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए विनियम 3 में निर्दिष्ट परीक्षा को अधित्यक्त कर दिया जाएगा यदि,--

(क) संस्थान की अध्येता सदस्यता के लिए आवेदन की तारीख को व्यक्ति ऐसे बीमांकक निकाय का, जिसका संस्थान के साथ पारस्परिक मान्यता करार है, सदस्य बना हुआ है;

(ख) संस्थान की अध्येता सदस्यता के लिए आवेदन की तारीख को व्यक्ति ने संबंधित बीमांकक निकाय के साथ पारस्परिक मान्यता करार की सुसंगत अपेक्षाएं पूरी कर ली है:

परंतु परिषद् संस्थान की वेबसाइट पर ऐसे सभी संबंधित बीमांकक निकायों की जिनके साथ संस्थान ने पारस्परिक मान्यता करार किया है जानकारी उपलब्ध करवाएगी।

(3) कोई व्यक्ति जो अध्येता सदस्य के रूप में प्रवेश लेने की वांछा रखता है, अनुसूची 'ग' के प्ररूप 'घ' में अध्येता के रूप में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य और विनियम 6 के उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन करेगा :

परंतु आवेदक ऐसी अन्य जानकारी देगा जिसकी परिषद् अपेक्षा करे।

(4) अध्येता सदस्यता का प्रमाणपत्र अनुसूची 'घ' के प्ररूप 'झ' में जारी किया जाएगा।

#### 5. सहयुक्त सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता -

(1) किसी व्यक्ति को सहयुक्त सदस्य के रूप में तभी प्रवेश दिया जाएगा, यदि—

(क) उसने विनियम 3 के अधीन सहयुक्त सदस्यता के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है; और

(ख) उसने ऐसी वृत्तिक या अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा कर लिया है जैसा परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए; और

- (ग) उसके पास ऐसा सुसंगत कार्य अनुभव है जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए।
- (2) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी अन्य बीमांकिक निकाय या शैक्षणिक संस्थान से संस्थान की तत्स्थानी परीक्षा के समतुल्य समझी जाने वाली ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की है जैसी परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, विनियम 3 में निर्दिष्ट परीक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी।
- (3) कोई व्यक्ति जो सहयुक्त सदस्य के रूप में प्रवेश लेने की वांछा रखता है अनुसूची 'ब' के प्ररूप ख में सदस्यता के लिए अपनी पात्रता के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य और विनियम 6 के उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन करेगा; परंतु आवेदक ऐसी अन्य जानकारी देगा जिसकी परिषद् अपेक्षा करे।
- (4) सहयुक्त सदस्यता का प्रमाणपत्र अनुसूची च के प्ररूप ज में जारी किया जाएगा।

## 6. फीस--

- (1) विनियम 4 और विनियम 5 के अधीन रजिस्टर में नाम प्रविष्ट करवाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पच्चीस हजार रुपए से अनधिक राशि की ऐसी फीस संलग्न होगी जैसी परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।
- (2) विनियम 3 के उपविनियम (3) के अधीन किसी परीक्षा में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, भारत में जिसके अंतर्गत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देश भी हैं विद्यार्थियों के लिए प्रति विषय एक लाख रुपए से अनधिक रकम की ऐसी फीस संलग्न होगी जैसी परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए:
- परंतु भारत और सार्क देशों के बाहर के परीक्षा केन्द्र के लिए व्यक्तियों के बाहर के परीक्षा केन्द्र के लिए व्यक्तियों द्वारा संदेय परीक्षा फीस प्रति विषय दो लाख रुपए से अनधिक की ऐसी रकम होगी जैसी परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

- (3) प्रत्येक सदस्य एक लाख रुपए से अनधिक की वार्षिक सदस्यता फीस की ऐसी रकम का संदाय करेगा जैसी परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए:
- परंतु ऐसे सदस्य, जिनका सदस्यों के रजिस्टर में पत्राचार का पता भारत के बाहर का है, दो लाख रुपए से अनधिक की वार्षिक सदस्यता फीस की ऐसी रकम का संदाय करेंगे जैसी परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।
- (4) परिषद् पाठ्यक्रम सामग्री, कोचिंग, काउंसलिंग, प्रशिक्षण और अन्य प्रयोजनों के लिए फीस का अवधारण करेगी : परंतु ऐसी फीस, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए प्रति विषय पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।
- परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति जिनका पत्राचार का पता भारत के बाहर का है, प्रति विषय एक लाख रुपए से अनधिक ऐसी फीस का संदाय करेंगे जैसा परिषद् समय-समय पर अवधारित करे।

## 7. रीति जिसमें अवैतनिक सदस्य का चयन किया जा सकेगा--

- परिषद् अपने सभी सदस्यों के कम से कम पांच चौथाई मत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अवैतनिक सदस्य के रूप प्रवेश दे सकेगी जिसे वह बीमांकक के व्यवसाय से संबंधित विषयों में उसकी प्रतिष्ठा और उसके अनुभव के कारण संस्थान के उद्देश्यों के संवर्धन सहायता करने के लिए समर्थ समझती है परंतु यह तब जब वह बीमांकक के रूप में व्यवसायरत न हो:

परंतु ऐसी प्रवेश हेतु विचार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

## 8. संस्थान के संबद्ध सदस्य के रूप में भर्ती--

- (1) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी अन्य बीमांकिक निकाय से ऐसी अहंता है जिसे परिषद् द्वारा संस्थान की अध्येत सदस्यता के समतुल्य समझा गया है और जो कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के संबद्ध सदस्य के रूप में भर्ती किए जाने का हकदार होगा।
- (2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो संस्थान के संबद्ध सदस्य के रूप में भर्ती होने की वांछा रखता है, संस्थान को, अनुसूची ड के प्ररूप ग में के साथ और विनियम 6 के उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करके आवेदन कर सकेगा: परंतु संस्थान के पास पारस्परिक मान्यता करार या परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत वैसे ही करार पर हस्ताक्षरित ऐसे बीमांकिक निकाय के साथ व्यतिकारी करार होना चाहिए।
- (3) इस बात का अवधारण कि न्यायालय किसी अन्य बीमांकिक निकाय से उपविनियम (1) में निर्दिष्ट किसी बीमांकिक अहंता को संस्थान की अध्येता सदस्यता के समतुल्य समझा जाए या नहीं, इस संबंध में समय-समय पर परिषद् द्वारा अधिकथित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

**9. संस्थान के विद्यार्थी सदस्य के रूप में भर्ती--**

(1) कोई व्यक्ति, जिसने 10+2 या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसने संस्थान द्वारा संचालित बीमांकिक सामान्य प्रवेश परीक्षा (एसीईटी) पास कर ली है अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संस्थान के विद्यार्थी सदस्य के रूप में, भर्ती होने का हकदार होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो स्वयं को संस्थान के विद्यार्थी सदस्य के रूप में भर्ती होने की वांछा रखता है, संस्थान को अनुसूची घ के प्ररूप क में सदस्यता के लिए अपनी पात्रता के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ और विनियम 6 के उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस संलग्नक करके आवेदन कर सकेगा।

**10. व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए अर्हता, प्ररूप और फीस--**

(1) संस्थान का कोई अध्येता सदस्य जिसका नाम अधिनियम की धारा 6 के अधीन संस्थान द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्ट है और जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिकथित अनुभव और मानदंडों को पूरा करता है, इस विनियम के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए कोई आवेदन अनुसूची घ के प्ररूप च में किया जाएगा, उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए किंतु जो किसी भी दशा में एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

(3) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी सदस्य द्वारा धारित व्यवसाय प्रमाणपत्र को इस विनियम के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और जब तक उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है तब तक वह विधिमान्य बना रहेगा।

(4) व्यवसाय प्रमाणपत्र अनुसूची ट के प्ररूप अ में जारी किया जाएगा।

**11. व्यवसाय प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना--**

(1) विनियम 10 के अधीन जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किए जाने योग्य होगा, यदि-

(i) अधिनियम की धारा 24 के अधीन प्रमाणपत्र के धारक का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है; या

(ii) परिषद् का, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र गलत, भ्रामक या मिथ्या जानकारी के आधार पर या गलती से या अनवधानता से जारी किया गया था; या

(iii) सदस्य ने व्यवसाय से प्रविरत होने के कारण रद्दकरण के लिए आवेदन किया है; या

(iv) सदस्य ने सुसंगत वर्ष की एक अप्रैल को या उसके पूर्व व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए वार्षिक फीस या का नब्बे दिन से अधिक लंबित कोई अन्य शोध्यों का संदाय नहीं किया है ; या

(v) सदस्य परिषद् द्वारा अधिकथित अनुभव या मानदंडों को पूरा नहीं करता है; या

(vi) सदस्य ने सुसंगत वर्ष की 30 जून तक वार्षिक सदस्यता फीस का संदाय नहीं किया है; या

(vii) कोई अन्य मानदंड, जो परिषद् व्यवसाय प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने के लिए अधिसूचित करे।

**(2) प्रमाणपत्र का रद्दकरण--**

(क) उपविनियम (1) के खंड (i) के अधीन आने वाले किसी मामले में उस तारीख को जिसको और अवधि के दौरान जिसके लिए प्रमाणपत्र के धारक का नाम रजिस्टर से हटाया गया था, प्रभावी होगा;

(ख) उपविनियम (1) के खंड (iv), खंड (v) और खंड (vi) के अधीन आने वाले किसी मामले में संस्थान द्वारा सूचना जारी किए जाने की तारीख से पंद्रहवे दिन प्रभावी होगा;

(ग) किसी अन्य मामले में ऐसी तारीख से और ऐसी अवधि के लिए प्रभावी होगा जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) जहां कोई प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है वहां वह तारीख की जिससे प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा, सदस्य को संसूचित की जाएगी और संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी:

परंतु परिषद् अनुमोदित प्रारूप में किए गए आवेदन पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर तथा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन रहते हुए जो इन विनियमों को पालन करने के लिए आवश्यक हों, ऐसे सदस्य के लिए जिसका प्रमाणपत्र, वार्षिक फीस का संदाय न किए जाने और व्यवसाय प्रमाणपत्र की अपेक्षाएं पूरी न किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है और संस्थान को जिसका आवेदन, सभी प्रकार से पूर्ण, फीस के साथ सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो जाता है, तारीख से व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रत्यावर्तित कर सकेगी, जिसको यह रद्द किया गया था।

**12. परिषद् द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाना—**

किसी ऐसे सदेह या कठिनाई को दूर करने के लिए जो इन विनियमों के उपवंधों में से किसी उपवंध को लागू करने या उसका अर्थात् विनियम करने में उद्भूत हो, भारतीय बीमांक संस्थान परिषद्, इन विनियमों के उपवंधों से संगत स्पष्टीकरण या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी।

आर. बी. उपाध्याय, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन- III/4/असा/64/17]

अनुसूची क  
फार्म छ

[विनियम 3(7) देखें]  
परीक्षा प्रमाण पत्र फार्म

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

प्रदर्शन रिपोर्ट

संदर्भ सं. : XXXXXXXXXX

दिनांक: दिन/ माह/वर्ष

नाम: XXXXXXXXXXXXXXXX

पता: XXXXXXXXXXXX

XXXXXX परीक्षा में आपका परिणाम निम्नवत है। जो लोग उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, वे नीचे की टिप्पणी देखें।

विषय	अनुक्रमांक	केंद्र	श्रेणी
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	उत्तीर्ण/एफए/एफबी/एफसी/एफडी

**नोट:** - आपके परिणामों में दिखायी गयी अफलता की कोई भी श्रेणी प्राप्त समग्र स्तर का एक संकेत है। नीचे दी गयी अंक सीमा इस परीक्षा में असफल रहे उम्मीदवारों को अपेक्षित सुधार की कोटि का निर्धारण करने में सहायता करने के प्रयोजन से है।

- **एफए:** पास अंक से 1-5 प्रतिशत अंक कम
- **एफबी :** पास अंक से 6-15 प्रतिशत अंक कम
- **एफसी:** पास अंक से 16- 25 प्रतिशत अंक कम
- **एफडी:** पास अंक से 25 प्रतिशत अंक कम

उदाहरण के लिए: यदि पास अंक प्रतिशत 55% था, एफबी श्रेणी 40 से 49 प्रतिशत अंक की प्राप्ति दर्शाता है।

उचित और पूरी तैयारी के बाद एक एफडी श्रेणी (अथवा पुनरावृत्त एफसी अथवा पिछली परीक्षा प्रणाली का समतुल्य), से यह समझना चाहिए कि उम्मीदवार को अपनी योजनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और जहाँ उपयुक्त हो, सलाह लेनी चाहिए।

**नोट:** यह एक कंप्यूटर जनित रिपोर्ट है अतः इस पर किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

**अनुसूची ख  
फार्म ख**

[विनियम 5 (3) देखें]

एक सह-सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

एक सह - सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

कृपया इस फार्म को भरकर निम्नलिखित पते पर भेज दें:

परीक्षा दल, भारतीय बीमांकन संस्थान, 302, हिंडियन ग्लोब चैंबर्स, 142, फॉर्ट स्ट्रीट, डी.एन. रोड, सीएसटी (वीटी) रेलवे स्टेशन के पास, मुंबई - 400001

**नोट :**

1. कृपया इस फार्म को भरने के लिए बड़े अक्षरों और नीली स्थाही का उपयोग करें।
2. कृपया प्रत्येक पृष्ठ पर अपना "आद्यक्षर" करें।
3. कृपया इस आवेदन पत्र में उल्लिखित अपने सभी योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
4. सह सदस्य (एसोसिएट) के लिए शुल्क 1500 रुपए है। कृपया "भारतीय बीमांकन संस्थान" के पक्ष में चेक/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें, जो मुंबई में देय हो।

**मानदंड:-**

**नवीनतम  
पासपोर्ट (3.5 x  
3.5 सेमी) आकार  
का फोटो  
चिपकाएं**

1. वे छात्र सदस्य, जो सफल रहे हैं/सभी मुख्य तकनीकी शृंखला (सीटी1 से सीटी9) और सभी मुख्य अनुप्रयोग शृंखला (सीए1 से सीए3) विषयों से छूट प्राप्त की है इस संस्थान के सह-सदस्य बनने के लिए पात्र हैं।

**खंड 1—आवेदक से संबंधित सूचना**

नाम: श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ (अनिवार्य)

आइएआइ सदस्यता सं. प्रवेश की तिथि एवं वर्ष

--	--	--

प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम

मो.	दूरभाष (आ.)	दूरभाष (का.)
-----	-------------	--------------

**वर्तमान आवासीय पता**

फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.

परिसर/भवन/

ग्राम का नाम

सड़क/गली/डाकघर

--	--	--

क्षेत्र/स्थान

नगर/शहर/जिला

पिन

--	--	--

राज्य

राष्ट्र

--	--

**वर्तमान रोजगार के विवरण**

नियोक्ता का नाम

ब्लॉक सं.

परिसर/भवन का नाम

--

--

--

सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान

नगर/शहर/जिला

--

--

--

पिन

राज्य

राष्ट्र

--

--

--

कर्मचारी का पदनाम \_\_\_\_\_ कर्मचारी का विभाग : \_\_\_\_\_

**खंड 2 – उत्तीर्ण विषयों के विवरण**

विषय	उत्तीर्ण/छूट प्राप्त	परीक्षा सभा (डाइट)
सीटी 1		
सीटी 2		
सीटी 3		
सीटी 4		
सीटी 5		
सीटी 6		
सीटी 7		
सीटी 8		
सीटी 9		
सीए 1		
सीए 2		
सीए 3		

**खंड 3 –प्राप्त शैक्षणिक और बीमांकिक योग्यता का तिथि के साथ ब्यौरा और अन्य बीमांकिक पेशेवर निकाय/निकायों की सदस्यता के विवरण**

कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	शैक्षणिक योग्यता/बीमांक पदनाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष/प्रवेश का वर्ष

**खंड 4 – भुगतान की विधि**

चेक/डिमांड ड्राफ्ट सं. : \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

अदाकर्ता (बैंक का नाम): \_\_\_\_\_

राशि : \_\_\_\_\_

**खंड 5 – घोषणा**

मैं, एतद्वारा, भारत के बीमांक संस्थान के एक सह - सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि;

- मैं कभी भी किसी अपराध (सङ्क यातायात नियमों के उल्लंघन को छोड़कर) के लिए भारत या भारत से बाहर के किसी न्यायालय से दोषसिद्ध नहीं हुआ/हुई हूँ।
- मुझे कभी भी भारत में या भारत से बाहर किसी पेशेवर संस्थान, जिससे मैं संबद्ध हूँ या था, द्वारा आश्रेपित, अनुशासित अथवा सार्वजनिक रूप से निंदित नहीं किया गया है अथवा किसी कार्यालय अथवा नियोजन से निलंबित नहीं किया गया है अथवा किसी पेशे अथवा रोजगार में प्रवेश से वर्जित नहीं किया गया है।
- मैं बीमांकिक अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उल्लिखित किसी अनर्हता से अभिशस्त नहीं हूँ।
- मैं यह भी समझता हूँ कि इस आवेदन पर भारतीय बीमांक संस्थान परिषद का निर्णय अंतिम होगा और मुझ पर वाद्यकारी होगा।

नाम : \_\_\_\_\_

तिथि: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

(कृपया बाक्स के अंदर ही हस्ताक्षर करें)

**अनुसूची ग  
फार्म घ**

**[विनियम 4 (3) देखें]**

**एक फेलो सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र**

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

फेलो सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

इस फार्म को भरकर निम्नलिखित पते पर भेज दें :

परीक्षा दल, संस्थान भारत, 302, भारतीय ग्लोब मंडलों, 142, किले स्ट्रीट, डी.एन. रोड, सीएसटी के पास बंद की रजिस्ट्री के (वीटी) स्टेशन, मुंबई - 400001

नोट :

- इस फार्म को भरने के लिए कृपया बड़े अक्षरों एवं नीली स्थाही का प्रयोग करें।
- कृपया प्रत्येक पृष्ठ पर अपना "आद्यक्षर" करें।
- विभिन्न वर्गों की सदस्यता के लिए निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:

(एमआरए: आपसी मान्यता समझौता)

विवरण	शुल्क
द्वात्र से फेलो	5000 रुपये
फेलो से सह - सदस्य	5000 रुपये

फेलो (एमआरए मार्ग)	10000 रुपये
संबद्ध सदस्य से फेलो	5000 रुपये

कृपया मुंबई में देय चैक/डिमांड ड्राफ्ट "भारतीय बीमांकन संस्थान" के पक्ष में भेजें।

#### मापदंड

#### छात्र/सह – सदस्य के लिए फैलोशिप (आईएआई परीक्षा मार्ग)

- वर्तमान में आइएआइ का छात्र सदस्य होना चाहिए
- एक छात्र सदस्य को आइएआइ के लिए विहित सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा नियमों [कोर तकनीकी (सीटी 1 से सीटी 9 – 9 पत्र), कोर अनुप्रयोग (सीए 1 से सीए 3 - तीन पत्र), विशेषज्ञ तकनीकी (एसटी 1, एसटी 2, एसटी 4, से एसटी 9 – आठ में से कोई दो) और विशेषज्ञ अनुप्रयोग (एसए 1 से एसए 6 – छह पत्रों में से कोई एक)] के अनुसार एक या अधिक पत्रों से छूट प्राप्त होना चाहिए।
- न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अधारित बीमांकन अनुभव
- इंडिया फैलोशिप सेमिनार में भाग लिया होना चाहिए (वैधता – आईएफएस संगोष्ठी में सफलता पूर्वक भाग लेने के 24 माह के अंदर एफआईएआई के रूप में प्रवेश दिया जाएगा)

#### फैलोशिप (फैलो मार्ग से एफिलियट)

- मूल संस्थान से निम्नलिखित सत्यापन कि
  - उन्होंने परीक्षा मार्ग से फैलोशिप प्राप्त की है। (जिसके साथ आईएआई का आपसी मान्यता समझौता है)
  - उनकी सदस्यता अद्यतित है
  - उसके विरुद्ध कोई लोक अनुशासनात्मक पाबंदी नहीं लगायी गयी है
- एक वर्ष का भारतीय निवासी बीमांकन कार्य अनुभव
- इंडिया फैलोशिप सेमिनार में भाग लिया होना चाहिए (वैधता – आईएफएस संगोष्ठी में सफलता पूर्वक भाग लेने के 24 माह के अंदर एफआईएआई के रूप में प्रवेश दिया जाएगा)

#### फैलोशिप (एमआरए मार्ग)

- अन्य बीमांकन संस्थान का सदस्य होना चाहिए (जिसके साथ आईएआई का आपसी मान्यता समझौता है)
- मूल संस्थान से निम्नलिखित सत्यापन कि
  - उन्होंने परीक्षा मार्ग से फैलोशिप प्राप्त की है
  - उनकी सदस्यता अद्यतित है
  - उनके विरुद्ध कोई लोक अनुशासनिक पाबंदी नहीं लगायी गयी है
- एक वर्ष का भारतीय निवासी बीमांकन कार्य अनुभव
- इंडिया फैलोशिप सेमिनार में भाग लिया होना चाहिए (वैधता – आईएफएस संगोष्ठी में सफलता पूर्वक भाग लेने के 24 माह के अंदर एफआईएआई के रूप में प्रवेश दिया जाएगा)

कृपया उस मापदंड पर सही का निशान लगाएं जिसके तहत आप फैलो सदस्यता के लिए पात्र हैं

छात्र सदस्यता



मार्ग

एसोसिएट सदस्यता



एफिलियट सदस्यता

#### खंड 1 – आवेदक का विवरण

नाम: श्री/श्रीमती/सूश्री/डॉ (अनिवार्य)

प्रथम नाम	आईएआई सदस्यता सं. प्रवेश का वर्ष	मध्य नाम	उपनाम
-----------	----------------------------------	----------	-------

मो.	दूर. (आ.)	दूर. (का.)	_____
वर्तमान आवासीय पता			
फ्लैट /मकान /ब्लॉक सं.	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	सड़क /गली /डाकघर	_____
_____	_____	_____	_____
क्षेत्र /स्थान	नगर /शहर /ज़िला	पिन	_____
_____	_____	_____	_____
राज्य	राष्ट्र		
_____	_____		
वर्तमान नियोजन विवरण			
नियोक्ता का नाम	ब्लॉक सं.	परिसर/भवन का नाम	_____
_____	_____	_____	_____
सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र /स्थान	नगर /शहर /ज़िला	_____
_____	_____	_____	_____
पिन	राज्य	राष्ट्र	_____
_____	_____	_____	_____
कर्मचारी का पदनाम _____	कर्मचारी का विभाग _____		
खंड 2 – उन विषयों का विवरण जिनमें उत्तीर्ण हुए			
विषय	उत्तीर्ण/छूट प्राप्त	परीक्षा सभा (डाइट)	आईएफओए, आईएआई अथवा किसी अन्य बीमांक संस्थान से उत्तीर्ण परीक्षा
सीटी1	_____	_____	_____
सीटी2	_____	_____	_____
सीटी3	_____	_____	_____
सीटी4	_____	_____	_____
सीटी5	_____	_____	_____
सीटी6	_____	_____	_____
सीटी7	_____	_____	_____
सीटी8	_____	_____	_____
सीटी9	_____	_____	_____
सीए1	_____	_____	_____

सीए२			
सीए३			
एसटी_			
एसटी_			
एसए_			

**खंड 3 –प्राप्त शैक्षणिक और बीमांकन योग्यता और अन्य बीमांकन पेशेवर संस्थान/संस्थानों की सदस्यता का तिथि के साथ विवरण**

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	शैक्षणिक योग्यता/बीमांकन पदनाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष /प्रवेश का वर्ष

**खंड 4 – भारतीय फेलोशिप सेमिनार :**

--

साक्ष्य के साथ सेमिनार में भाग लेने की तिथि का उल्लेख करें.

**खंड 5 – बीमांकन कार्य आधारित अनुभव:-**

क्रम सं.	नियोक्ता का नाम	नियुक्त होने की तिथि	पदत्याग की तिथि	कार्य का स्थान	पदनाम

**नोट :**

- प्रत्येक नियोक्ता से मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- अनुभव प्रमाण पत्र कंपनी के लेटर हेड पर मुद्रित होना आवश्यक है।
- इस प्रमाण पत्र में आपका नाम, पदनाम और बीमांकन कार्य की अवधि शामिल होनी चाहिए।
- कार्य प्रकृति (बीमांकन से संबंधित) का संक्षिप्त विवरण और इस अवधि के दौरान किए गए कार्य की प्रकृति, जैसे, विभाग, उत्तरदायित्व इत्यादि।
- मानव संसाधन प्रबंधक अथवा आपके ठीक ऊपर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसमें उनका फोन नं. और ई-मेल आईडी होनी चाहिए।
- एफिलियट सदस्यता अथवा एमआरए मार्ग वाले आवेदक को भारत में बीमांकन कार्य अनुभव की पूष्टि संबंधी नियोक्ता का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।

**खंड 6 – भुगतान की विधि**

चेक/मांग ड्राफ्ट सं. : \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_

अदाकर्ता (बैंक का नाम) : \_\_\_\_\_ राशि : \_\_\_\_\_

**खंड 7 - घोषणा**

मैं, एतद्वारा, भारतीय बीमांकन संस्थान की नियमावली के नियम 2(ज्ञ) के अंतर्गत इस संस्थान के फेलो सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि;

1. मैं कभी भी किसी अपराध (सड़क यातायात नियमों के उल्लंघन को छोड़कर) के लिए भारत या भारत से बाहर के किसी न्यायालय से दोषसिद्ध नहीं हुआ/हुई हूँ।

2. मुझे कभी भी भारत में या भारत से बाहर किसी पेशेवर संस्थान, जिससे मैं संबद्ध हूँ या था, द्वारा आक्षेपित, अनुशासित अथवा सार्वजनिक रूप से निर्दित नहीं किया गया है अथवा किसी कार्यालय अथवा नियोजन से निलंबित नहीं किया गया है अथवा किसी पेशे अथवा रोजगार में प्रवेश से वर्जित नहीं किया गया है।

3. मैं बीमांकिक अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उल्लिखित किसी अनर्हता से अभिशस्त नहीं हूँ।

4. [केवल संबद्ध सदस्य और एमआरए मार्ग के आवेदक के लिए लागू] - मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि मूल संस्थान की फेलो सदस्यता इस प्रकार की सदस्यता के शासी नियम के अनुसार तब तक प्रभावी रहेगी जब तक आईएआई की मेरी केलो सदस्यता प्रवृत्त है और किसी भी कारण से अन्य बीमांकन संस्थान (मूल संस्थान) की मेरी सदस्यता समाप्त होने पर आईएआई की मेरी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

मैं यह भी समझता हूँ कि इस आवेदन पर भारतीय बीमांकन संस्थान परिषद का निर्णय अंतिम होगा और मुझ पर वाध्यकारी होगा।

नाम :

तिथि:

स्थान:

हस्ताक्षर:

(कृपया बाक्स के अंदर ही हस्ताक्षर करें)

**अनुसूची घ  
फार्म क**

**[विनियम 9(2)देखें]**

**एक छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र**

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

**छात्र सदस्यता के लिए आवेदन पत्र**

इस फार्म को भरकर निम्नलिखित पते पर भेज दें:

परीक्षा दल, भारतीय बीमांकन संस्थान, 302, इंडियन ग्लोब चैंबर्स, 142, फॉर्टस्ट्रीट, डी.एन. रोड, सीएसटी (वीटी) स्टेशन के पास, मुंबई - 400001

**नोट :**

- अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई-मेल आईडी [acet@actuariesindia.org](mailto:acet@actuariesindia.org) अथवा दूरभाष 022 – 67843355 पर संपर्क करें।
- हम केवल आवेदन फार्म की हार्ड प्रतियां स्वीकार करेंगे। ई-मेल के माध्यम से भेजे गए आवेदन संसाधित नहीं किए जाएंगे।
- इस आवेदन पत्र के सभी खंड पूरी तरह भरें और सभी अपेक्षित दस्तावेजों के

साथ जमा करें। ऐसा करने में विफल रहने पर आपका फॉर्म आपको वापस कर दिया जाएगा।

- आवेदनों पर कार्बाई करने में तीन सप्ताह तक का समय लग सकता है। आपकी सदस्यता की पूष्टि संबंधी पत्र आपकी लाँग इन आईडी और पासवर्ड के साथ केवल आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।
- कृपया इस फॉर्म को भरने के लिए बड़े अक्षरों और नीली स्याही का प्रयोग करें।
- जब आपका आवेदन अनुमोदित हो जाएगा आपको कूरियर द्वारा खाली आईडी कार्ड भेजी जाएगी।

पासपोर्ट आकार (3.5x3.5)  
का नवीनतम फोटो  
चिपकाएं। छात्र का  
हस्ताक्षर, अभिप्रमाणन  
अधिकारी का हस्ताक्षर और  
मूहर इस फोटो के आड़े किया  
जाना चाहिए।

#### खंड 1 - छात्र सदस्य बनने के लिए मापदंड

कृपया उस मापदंड पर सही का निशान लगाएं, जिसके तहत आप छात्र सदस्यता के लिए पात्र हैं (अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक 1 देखें)

1 (क)/एसीईटी  2(क)  2(ख)  2(ग)  2(घ)

#### खंड 2 - आवेदक का विवरण

नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.

प्रथम नाम

पिता/पति का नाम

राष्ट्रीयता :

लिंग:

<input type="checkbox"/>							
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ति. ति. मा. मा. व. व. व. व.

<input type="checkbox"/>
--------------------------

<input type="checkbox"/>
--------------------------

नोट :आईएआई से जारी कोई भी पत्र, जैसे सदस्यता अभिपुष्टि, प्राप्ति, इत्यादि ई-मेल से भेजा जाएगा और इसलिए आपके ई-मेल आईडी का उल्लेख करना आवश्यक है।

ई-मेल आईडी

वैकल्पिक ई-मेल आईडी

मोबाइल नं.

दूरभाष (आ.)

दूरभाष(का.)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

क्या आप किसी अन्य वीमांकन संस्थान के सदस्य हैं? यदि हों, तो निम्नलिखित सूचना दें।

संस्थान का नाम	सदस्यता सं.	प्रवेश का वर्ष	सदस्यता श्रेणी	उत्तीर्ण विषय का व्यौरा

सही पत्राचार पता, दूरभाष संख्या और ई-मेल पता, स्पष्ट लिखावट में उपलब्ध कराए जाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप आवेदक को उनके आवेदन फॉर्म के संबंध में सूचना और अन्य जानकारी प्राप्त नहीं होगी।

कृपया उस पता का उल्लेख करें जिस पते पर आप सभी पत्र प्राप्त करना चाहेंगे। कृपया निम्नलिखित में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं।

स्थायी		आवासीय		नियोक्ता	
--------	--	--------	--	----------	--

**स्थायी पता**

फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.

परिसर/भवन/ग्राम का नाम

सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान

नगर/शहर/जिला

पिन

राज्य

राष्ट्र

**वर्तमान आवासीय पता – यथोक्त**

फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.

परिसर/भवन/ग्राम का नाम

सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान

नगर/शहर/जिला

पिन

राज्य

राष्ट्र

**वर्तमान नियोजन का विवरण**

नियोक्ता का नाम

ब्लॉक सं.

परिसर/भवन का नाम

सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान

नगर/शहर/जिला

पिन

राज्य

राष्ट्र

कर्मचारी का पदनाम \_\_\_\_\_ कर्मचारी का विभाग : \_\_\_\_\_

---

### खंड 3 – भुगतान की विधि

कुल प्रवेश शुल्क (सदस्यता शुल्क सहित) 31 मार्च 2016 तक 1500 रुपए है।

मांग ड्राफ्ट /भुगतान आदेश सं. : \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_

अदाकर्ता बैंक (बैंक का नाम) : \_\_\_\_\_ राशि : \_\_\_\_\_

#### नोट :

- क. कृपया शुल्क का भुगतान मुंबई में देय ‘भारतीय बीमांकक संस्थान’ के पक्ष में मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से करें। मांग ड्राफ्ट को आवेदन के साथ नथी नहीं करें अपितु एक यू पिन का उपयोग कर संलग्न करें। मांग ड्राफ्ट में वर्तीनी की अशुद्धता या कोई अन्य अशुद्धि होने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। मांग ड्राफ्ट वापसी शुल्क 500 रुपए होगा।
- ख. मांग ड्राफ्ट के पीछे उम्मीदवार पहचान सं., अपने नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख करें।
- ग. वित्त वर्ष अर्थात् अप्रैल से मार्च तक, के दौरान, जब कभी भी प्रवेश दिया जाता है, सदस्यता शुल्क उस वित्त वर्ष के लिए ही देय होगा, अर्थात् – 2 मार्च 2015 को लिए गए प्रवेश के लिए सदस्यता शुल्क 31 मार्च 2015 तक के लिए वैध होगा। वर्ष 2016 – 17 के लिए सदस्यता शुल्क 1 अप्रैल 2016 को देय होगा। और जानकारी के लिए कृपया ई-मेल आईडी [actsoc@actuariesindia.org](mailto:actsoc@actuariesindia.org) पर सुश्री विजया भोसले से संपर्क करें।
- घ. यदि आप XXXXX परीक्षा सभा (डाइट) में भाग लेना चाहते हैं, तो संस्थान को विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र XXXXX तक पहुँच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात प्राप्त सदस्यता फार्म के आवेदक बाद के परीक्षा सभा (डाइट) में भाग लेने के लिए पात्र होंगे न कि XXXXX परीक्षा सभा (डाइट) के लिए।
- इ. भारत से बाहर के आवेदक जो अमेरिकी डॉलर में भुगतान कर रहे हैं, को 2000 रुपए के समतुल्य राशि का मांग ड्राफ्ट भेजना होगा (शुल्क 1500 रुपए और बैंक प्रभार 500 रुपए)
- ज. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो भेजना चाहिए जो यू पिन से संलग्न हो।

### खंड 4 - प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

सभी दस्तावेजों जो प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं, निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा अभिप्राणित (मुहर के साथ) होने चाहिए। कृपया आपके दस्तावेज को अभिप्राणित करने वाले व्यक्ति की श्रेणी के सामने सही का निशान लगाएं। पेशेवर अपने संस्थान की सदस्यता संख्या का उल्लेख करें और संस्थान का मुहर लगाएं। रिश्तेदार द्वारा किया गया अभिप्राणन मान्य नहीं होगा।

**नोट:** अभिप्राणन प्राधिकरण को सत्यापन के लिए अभिप्राणन में अनिवार्य रूप से अपने संपर्क संख्या और ई-मेल आईडी का उल्लेख करना चाहिए।

1	सनदी लेखाकार	6	बैंक प्रबंधक	
2	आईसीडब्ल्यूए	7	नेशनल इंश्योरेंस अकादमी (निदेशक)	
3	राजपत्रित अधिकारी			
4	नोटरी	8	सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन में प्रथम श्रेणी अधिकारी	
5	बीमांकक			

## (1) भारत का निवासी (आवेदक की राष्ट्रीयता के अनपेक्ष)

## (क) ए सी इ टी उत्तीर्ण

अनिवार्य दस्तावेज जिसमें अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में उल्लिखित हो: (सभी प्रस्तुत करने हैं)

एसएससी अंक पत्र	एचएससी अंक पत्र	एचएससी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र	दो पासपोर्ट आकार के फोटो
अगर नाम में कोई परिवर्तन होता है तो इसके लिए तत्संबंधी साक्ष्य, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि अपेक्षित है।	अन्य (निर्दिष्ट करें)		

जन्म तिथि का साक्ष्य जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो(निम्न में से कोई एक)

पैन कार्ड	एसएससी अंक पत्र	एसएससी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र	विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
पासपोर्ट	जन्म प्रमाणपत्र	ड्राइविंग लाइसेंस	कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र

## (2) भारत के बाहर के निवासी

राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र -

एचएससी (10+2) -एचएससी अंक पत्र  एचएससी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र

स्नातक - सभी सेमेस्टर के अंक पत्र  सभी सेमेस्टर का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र

स्नातकोत्तर - सभी सेमेस्टर के अंक पत्र  सभी सेमेस्टर का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र

सनदी लेखाकार संस्थान और भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का पूर्णतः अहंताप्राप्त सदस्य

सदस्यता साक्ष्य  उत्तीर्ण विषयों के अंक पत्रसंस्थान द्वारा जारी  योग्यता प्रमाणन

बीमांकन संस्थान की सदस्यता	सदस्यता साक्ष्य	उत्तीर्ण विषय का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
बीमांकन संस्थान और संकाय		
इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरिज ऑफ आस्ट्रेलिया		
बीमांकन सोसायटी		
दुर्घटना बीमांकन सोसायटी		

## खंड 5 - आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला घोषणा पत्र

इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले, आपको बीमांकन अधिनियम, 2006 और भारतीय बीमांकन संस्थान के नियमों और विनियमों को पढ़ने की पक्की सलाह दी जाती है, जो हमारी वेबसाइट, <http://actuariesindia.org/> पर उपलब्ध हैं।

- मैं भारतीय बीमांकन संस्थान के एक छात्र के रूप में प्रवेश के लिए परिषद को आवेदन करता हूँ।
- मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैं भारतीय बीमांकन संस्थान के एक छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति हूँ।

- मैं इस बात की पूष्टि करता हूँ कि मैं अपराधिक अभिशस्त नहीं हूँ, सिवाय सड़क यातायात अधिनियमों के, और यह कि मैं किसी ऐसी घटना से अवगत नहीं हूँ, जिसमें मैं शामिल हूँ और जिसके परिणामस्वरूप मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप लगे अथवा सिद्धदोष हो।
- मुझे भारत में या भारत से बाहर
  - किसी पेशेवर संस्थान जिसका मैं सदस्य हूँ या था, द्वारा आक्षेपित, अनुशासित नहीं किया गया है अथवा सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की गयी है;
  - अथवा किसी कार्यालय अथवा नियोजन से बर्खास्त नहीं किया गया है;
  - अथवा किसी कदाचार के कारण किसी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से वर्जित नहीं किया गया है;
  - अथवा किसी पेशे, संघ अथवा रोजगार में प्रवेश से इंकार नहीं किया गया है।
- मैं किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों ये अवगत नहीं हूँ जो मुझे भारतीय बीमांकन संस्थान की छात्रवृत्ति के लिए अयोग्य बनाता हो।
- यदि मेरा आवेदन मंजूर हो जाता है तो, तो मैं समझता हूँ और इसके प्रति अपनी सहमति देता हूँ कि मैं:
  - बीमांकन अधिनियम, 2006, भारतीय बीमांकन संस्थान के नियमों और विनियमों और यथा मौजूद, अथवा भविष्य में यथा परिवर्तित, संशोधित अथवा अभिवर्धित पेशेवर आचरण संहिता का अनुपालन करूँगा और मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से भारतीय बीमांकन संस्थान के लक्ष्यों का संबद्धन करूँगा।
  - भारतीय बीमांकन संस्थान के अनुशासनात्मक नियमों से आबद्ध रहूँगा।
- मैं यह समझता हूँ कि सदस्यता छोड़ने के लिए मुझे सदस्यता त्याग पत्र टीम को सूचित करना आवश्यक है और भारतीय बीमांकन संस्थान के किसी बकाए के भुगतान, पुस्तक, पत्र अथवा किसी अन्य संपत्ति सुपूर्द करने के पश्चात मैं इन दायित्वों से मुक्त हो जाऊँगा।
- मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने इससे पहले एक सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया है।

नाम :	<input type="text"/>
तिथि:	<input type="text"/>
स्थान:	<input type="text"/>

हस्ताक्षर :

(कृपया बाक्स के अंदर ही हस्ताक्षर करें)

**नोट :** यदि आवेदक ने इससे पहले, एक सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, तो तत्संबंधी व्यौरा इस जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि क्या प्रवेश संस्वीकृत किया गया था या इंकार किया गया था। इस जानकारी को छुपाने के स्थिति में, सदस्यता रद्द की जा सकती है।

अनुलग्नक 1

कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता/करती है, प्रवेश के लिए पात्र है :

10 + 2 (एचएससी) या समकक्ष उत्तीर्ण हो और संस्थान द्वारा आयोजित बीमांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास किया है।

बशर्ते कि परिषद को समय-समय पर ऊपर उल्लिखित प्रवेश मापदंडों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।।

\*\*\*\*\*

## अनुसूची ड

## फार्म ग

## [विनियम 8 (2) देखें]

## एक संबद्ध सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

भारतीय बीमांकन संस्थान के एक सह- सदस्य के लिए आवेदन पत्र

1. इस फार्म को भरने के लिए बड़े अक्षरों एवं नीली स्याही का प्रयोग करें।
2. इस आवेदन में एक "संबद्ध सदस्य सदस्यता" संबंधी टिप्पणी निहित है।
3. कृपया प्रत्येक पर पृष्ठ अपना "आद्यक्षर" करें।
4. कृपया इस आवेदन पत्र के साथ इसमें उल्लिखित सभी योग्यता प्रमाण पत्रों की विधिवत स्व अभिप्रामाणित प्रतियां संलग्न करें।
5. संबद्ध सदस्य सदस्यता शुल्क 10,000 रुपए है।

पासपोर्ट आकार  
(3.5 x3.5 सेमी)  
का नवीनतम फोटो  
चिपकाएं

## संबद्ध सदस्य सदस्यता संबंधी टिप्पणी

परिषद किसी व्यक्ति, जो ऐसे अन्य बीमांकिक पेशेवर संस्थान का एक फेलो सदस्य है जिसके साथ इस संस्थान का एक पारस्परिकता समझौता है, को एक संबद्ध सदस्य के रूप में प्रवेश देने पर विचार कर सकता है। इस प्रकार की पारस्परिकता व्यवस्था, आईएआई और परिषद द्वारा यथा अधिकृत अन्य पेशेवर बीमांकन संस्थान के बीच एक परस्पर मान्यता समझौता अथवा इसके समतुल्य पर हस्ताक्षर के सबूत के साथ समर्थित होना चाहिए। प्रवेश प्राप्त करने पर एक संबद्ध सदस्य (एफिलिएट) संस्थान को सदस्यता शुल्क और संस्थान के फेलो सदस्य द्वारा यथा देय अन्य प्रशुल्कों का भुगतान करेंगे। एक संबद्ध सदस्य पदनामित पत्र जैसे एफआईएआई अथवा किसी अन्य संस्थान का उपयोग नहीं करेंगे। एक संबद्ध सदस्य संस्थान के परिषद में निर्वाचित होने के हकदार नहीं होंगे। एक संबद्ध सदस्य को संस्थान की किसी बैठक में किसी मामले या संकल्प पर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

## संबद्ध सदस्य के रूप में प्रवेश की अपेक्षाएं

- किसी बीमांकन पेशेवर संस्थान जिसके साथ आईएआई का परस्पर मान्यता समझौता (एमआरए) है का एक वर्तमान फैलो। 8 दिसंबर 2012 को परिषद की अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार [वर्तमान में आईएआई संस्थान का बीमांकन संस्थान एवं संकाय (आईएफओए) और इंस्टीच्यूट ऑफ एन्चुयुरिज ऑफ ऑस्ट्रेलिया (आईएऑस्ट) के साथ एमआरए है], जिसे इसमें इसके बादमूल संस्थान कहा जाएगा।
- मूल संस्थान से अभिपुष्टि, कि आपने परीक्षा मार्ग से फेलोशिप प्राप्त किया है, और प्रवेश का वर्ष और यह कि आपकी सदस्यता प्रवृत्त है।
- आपके मूल संस्थान अथवा किसी अन्य बीमांकन संस्थान जिसके आप सदस्य हैं या रहे हैं, द्वारा आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है।

## 1) आवेदक का विवरण :

नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री /डॉ. (अनिवार्य)

प्रथम नाम मध्य नाम पत्राचार के लिए नाम

उपनाम

राष्ट्रीयता :

पिता का नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ. (अनिवार्य)

प्रथम नाम	मध्य नाम	उपनाम
-----------	----------	-------

**2) जन्म तिथि**

दिवस	माह	वर्ष

3) क्या आप भारतीय बीमांकन संस्थान के एक सदस्य हैं? यदि हाँ, तो कृपया अपनी आईएआई सदस्यता संख्या और सदस्यता श्रेणी का उल्लेख करें

आईएआई सदस्यता संख्या	
सदस्यता श्रेणी	

**4. वर्तमान आवासीय पता**

फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.परिसर/भवन/ग्राम का नाम      सड़क/गली/डाकघर

--	--	--

क्षेत्र/स्थान

नगर/शहर/जिला

पिन

--	--	--

राज्य

राष्ट्र

--	--

**5. नियोक्ता का नाम व पता [यदि नियोजित हैं]**

नियोक्ता का नाम      ब्लॉक संख्या      परिसर/भवन का नाम

--	--	--

सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान

नगर/शहर/जिला

--	--	--

पिन

राज्य

राष्ट्र

--	--	--

6) प्राप्त शैक्षणिक और बीमांकन योग्यता और अन्य बीमांकन पेशेवर संस्थान/संस्थानों की सदस्यता का तिथि के साथ विवरण

**7) बीमांकन सहित शैक्षणिक योग्यता**

संस्थान का नाम	योग्यता /पदनाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष

### 7) पेशेवर बीमांकन योग्यता

बीमांकन पेशेवर संस्थान का नाम	योग्यता/पदनाम	परीक्षा मार्ग/एमआरए मार्ग	प्रवेश का वर्ष
1. बीमांकन संस्थान और संकाय, यूके			
2. इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूचुरिज ऑफ आस्ट्रेलिया			
3. अन्य (निर्दिष्ट करें) और कृपया भारतीय बीमांकन संस्थान की फेलोशिप के समतुल्य उत्तीर्ण परीक्षा के वर्ष का उल्लेख करें			

### भुगतान विधि

चेक/मांग ड्राफ्ट सं. : \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_

अदाकर्ता बैंक (बैंक का नाम) : \_\_\_\_\_ राशि : \_\_\_\_\_

### घोषणा

मैं एतद्वारा भारतीय बीमांकन संस्थान के एक संबद्ध सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :

- मैं कभी भी किसी अपराध (सड़क यातायात नियमों के उल्लंघन को छोड़कर) के लिए भारत या भारत से बाहर के किसी न्यायालय से दोषसिद्ध नहीं हुआ/हुई हूँ।
- मुझे कभी भी भारत में या भारत से बाहर किसी पेशेवर संस्थान, जिससे मैं संबद्ध हूँ या था, द्वारा आक्षेपित, अनुशासित अथवा सार्वजनिक रूप से निंदित नहीं किया गया है अथवा किसी कार्यालय अथवा नियोजन से निलंबित नहीं किया गया है अथवा किसी पेशे अथवा रोजगार में प्रवेश से वर्जित नहीं किया गया है।
- मैं बीमांकिक अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उल्लिखित किसी अनर्हता से अभिशस्त नहीं हूँ।
- मैं यह भी समझता हूँ कि इस आवेदन पर भारतीय बीमांकन संस्थान परिषद का निर्णय अंतिम होगा और मुझ पर वाध्यकारी होगा।
- यदि आप भारत के या भारत के बाहर किसी पेशेवर संस्थान के सदस्य हैं तो, उस पेशेवर संस्थान द्वारा आपके विरुद्ध पूर्व में की गयी, अथवा वर्तमान में विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई, का विवरण दें।
- यदि किसी भी देश के न्यायालय या किसी विनियामकीय प्राधिकरण द्वारा आपके विरुद्ध दोषसिद्ध है अथवा कोई मामला चल रहा है तो तत्संबंधी व्यौरा प्रस्तुत करें।

मैं यह भी समझता हूँ कि ऐसी सदस्यता के शासी नियमों के अनुसार मूल संस्थान की फेलो सदस्यता तब तक प्रवृत्त रखा जाएगा जब तक मेरी संबद्ध सदस्यता प्रवृत्त है और यह कि किसी भी कारण से फेलोशिप की समाप्ति पर मेरी संबद्ध सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

तिथि : \_\_\_\_\_

स्थान : \_\_\_\_\_

### रेफरी द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली घोषणा

1. आवेदक को इस आवेदन पर, या तो इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरिज, यूके, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्चुअरिज ऑफ आस्ट्रेलिया अथवा भारतीय बीमांकन संस्थान के दो फेलो सदस्यों का हस्ताक्षर करवाने का अनुरोध किया गया था।
2. आवेदक को, जहाँ तक रेफरी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, भारतीय बीमांकन संस्थान की सदस्यता के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए जिस पर संस्थान के मानकों को बनाए रखने के लिए विश्वास किया जा सकता है।

#### रेफरी 1:

मैं आवेदक को जानता हूँ और मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार, उन्हें भारतीय बीमांकन संस्थान के एक संबद्ध सदस्य के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति समझता हूँ।

नाम :	
फेलोशिप सं.:	
बीमांकन संस्थान का नाम	
पता :	
<b>हस्ताक्षर :</b>	<b>तिथि</b>

#### रेफरी 2 :

मैं आवेदक को जानता हूँ और मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार, उन्हें भारतीय बीमांकन संस्थान के एक संबद्ध सदस्य के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति समझता हूँ।

नाम :	
फेलोशिप सं.:	
बीमांकन संस्थान का नाम	
पता :	
<b>हस्ताक्षर :</b>	<b>तिथि</b>

अनुसूची च  
फॉर्म ज

[विनियम 5 (4) देखें]

सदस्यता (एसोसिएट) प्रमाण पत्र

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

भारतीय बीमांकन संस्थान

तिथि : दि.दि./मा. मा./वर्ष

(प्रतीक)

सदस्यता सं. ....

प्रमाणित किया जाता है कि ..... के ..... को ..... 20 ..... के ..... दिवस को भारतीय बीमांकन संस्थान के एक सह-सदस्य (एसोसिएट) के रूप में प्रवेश दिया जाता है।

भारतीय बीमांकन संस्थान के सामान्य मुद्रा के तहत ..... 20 ..... के ..... दिवस को प्रदत्त।

(मुद्रा)

अधिपति

मानद सचिव

अनुसूची छ  
फॉर्म झ

[विनियम 4 (4) देखें]

सदस्यता (फेलो) प्रमाण पत्र

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

भारतीय बीमांकन संस्थान

तिथि : दि.दि./मा. मा./वर्ष

(प्रतीक)

सदस्यता सं. ....

प्रमाणित किया जाता है कि ..... के ..... को ..... 20 ..... के ..... दिवस को भारतीय बीमांकन संस्थान के एक सह-सदस्य (एसोसिएट) के रूप में प्रवेश दिया जाता है।  
भारतीय बीमांकन संस्थान के सामान्य मुद्रा के तहत ..... 20 ..... के ..... दिवस को प्रदत्त।

(मुहर)

अधिपति

मानद सचिव

अनुसूची ज  
फॉर्म ड

[विनियमन 3 (3) के देखें]

परीक्षा आवेदन फार्म

(प्रारूप – नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

**छात्र प्रोफाइल**

पंजीकरण फार्म

खंड 1 – वैयक्तिक विवरण

नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ. (अनिवार्य)

प्रथम नाम

मध्य नाम

उपनाम

लिंग :

जन्म तिथि :

<input type="text"/>							
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

दि. दि. मा. मा. वर्ष

प्रवेश का वर्ष :

अगली सदस्यता शुल्क देय तिथि :

सदस्य श्रेणी :

स्थायी पता :

फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं. परिसर/भवन/ग्राम का नाम सड़क/गली/डाकघर




क्षेत्र/स्थान

नगर/शहर/जिला

पिन




राज्य

राष्ट्र

याद रखने वाली बातें

- उम्मीदवारों को निम्नलिखित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु सावधानी पूर्वक पढ़ना आवश्यक है।
- 1) यदि आपकी सदस्यता स्थिति अद्यितत है अर्थात् सक्रिय है तभी आपको परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
  - 2) पंजीकरण की कार्रवाई करने से पूर्व अपने व्यक्तिगत विवरण, अर्थात् आपका पत्राचार पता, सही नंबर एवं ई-मेल आईडी की जाँच कर लें। कृपया ध्यान में रखें कि आपके द्वारा दी गयी ई-मेल आईडी का संस्थान द्वारा भविष्य में किए गए सभी पत्राचार के लिए उपयोग किया जाएगा। अपने विवरण को अद्यितत करने के लिए "प्रोफाइल संपादन (एडिट प्रोफाइल)" को क्लिक करें।
  - 3) आप केवल उन विषयों की परीक्षा में भाग लेने का चयन कर सकते हैं, जिसके लिए आपने अध्ययन सामग्री खरीदी है।
  - 4) आप किसी एक परीक्षा सभा (डाइट) के अधिकतम तीन विषयों की परीक्षा में भाग ले सकते हैं।
  - 5) आपको केवल एक परीक्षा सभा (डाइट) के लिए केवल एक परीक्षा केन्द्र के चयन की अनुमति होगी।
  - 6) परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन की अनुमति XXXXXXXX तक होगी।
  - 7) आप उसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, जिसकी आपने पहली बार पंजीकरण करते समय किया था, विषय जोड़ सकते हैं।
  - 8) भिन्न विषय (यदि कोई) के लिए दूसरी बार पंजीकरण करते समय, केन्द्र चयन विकल्प असक्षम कर दिया जाएगा। आप अपने केन्द्र में परिवर्तन केवल दूसरे विषय (यों) का सफलता पूर्वक पंजीकरण के पश्चात् ही कर सकते हैं।
  - 9) एकबार सफलता पूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात्, आपको परीक्षा से अपना नाम वापस लेने की की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - 10) एकबार सफलता पूर्वक पंजीकरण करने के बाद आपको विषय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  11. आप सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
  12. हॉल टिकट,XXXX द्वारा आपके संबंधित सदस्य लॉग इन के तहत डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा।
  13. किसी विशेष अनुरोध को परीक्षा पंजीकरण के लिए अंतिम दिन से पूर्व XXXX को संसूचित किए जाने की जरूरत है।  
"मैंने परीक्षा नियम और विनियम और साथ ही समय-समय पर यथा प्रवृत्त, पेशेवर आचरण मानक पढ़ लिया है, समझ लिया है और इसका अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ।"  
"इस फार्म को दाखिल कर मैं यह पुष्टि करता हूँ कि मैंने परीक्षा नीतियों, जारी निदेश पढ़ लिए हैं और समझ लिया है। इस फार्म की प्रस्तुति भारतीय बीमांकन संस्थान को सफल उम्मीदवारों के नाम की सूची प्रकाशित करने की अनुमति देता है।
- । मैं स्वीकार करता/करती हूँ।

**नोट :** आप केवल उन्हीं विषयों को देख सकेंगे जिनके लिए आपने अध्ययन सामग्री खरीदी है। वे उम्मीदवार जिन्होंने अध्ययन सामग्री तो खरीदी है परंतु अपने विषय नहीं देख पा रहे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित विवरण के साथ सुश्री निलिमा को ई-मेल आई डी [studymaterial@actuarisindia.org](mailto:studymaterial@actuarisindia.org) पर ई-मेल करें।

1. सदस्यता पहचान सं. (आईडी)
2. सदस्य का नाम
3. क्रय तिथि
4. रशीद संख्या
5. स्वरूप (हार्ड/सॉफ्ट प्रति)

पत्राचार का पता

वैकल्पिक पता	
--------------	--

पता

भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय,,,मेपल्ली, भारत, 505325

**नोट :** आपके आवास से निकटतम शहर

राज्य :

अरुणाचल प्रदेश

शहर :

बसर

ई – मेल आई डी :

[unnath.satya@gmail.com](mailto:unnath.satya@gmail.com)

प्रोफाइल संपर्दित करें

मोबाइल नंबर :

9494702603

परीक्षा केन्द्र

दिल्ली

विषय	राशि (भा. रु.)	चयन करें	टिप्पणी
सीटी 2	23 मई 2013	2000	पंजीकरण नहीं किया गया

पूष्टि करें

## अनुसूची ।

फॉर्म 2

[विनियमन 3 (3) ख देखें]

माह/वर्ष परीक्षा हॉल टिकट

नाम: XXXXXXXXXXXX

सदस्य आईडी: आईएआइ-XXXXXX


केंद्र कोड: XXXXXX

केंद्र का नाम: XXXXXXXXXXXX

केंद्र का पता: XXXXXXXXXXXXXXXX

केंद्र समन्वयक: XXXXXXXXXXXXXXXX

दूरभाष नंबर: XXXXXXXXXXXXXXXX



=====

=

विषय	अनुक्रमांक	परीक्षा की तारीख
सीटी 1	XXXXXXX	दि.दि.मा.मा.व.व., 10: 30-13: 30 बजे
सीटी 3	XXXXXXX	दि.दि.मा.मा.व.व., 10: 30-13: 30 बजे

## परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए ध्यान से पढ़ने चाहिए। इन निर्देशों के किसी भी निर्देश का उल्लंघन उम्मीदवारों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा का परिणाम और/अथवा संदस्यता पंजीकरण निरस्त हो सकता है।

- कृपया संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र के साथ हॉल टिकट दिखाएं। कृपया ध्यान रखें कि आपका कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवारों को जहाँ भी आवश्यकता है, परीक्षा के लिए बीमांकिक सारणी लाना अपेक्षित है। तथापि, इसमें कोई कलम/पेंसिल अंकन शामिल नहीं होना चाहिए।
- "उपस्थिति प्रमाण पत्र", यदि आवश्यक हुआ, तो स्थानीय पर्यवेक्षक से प्राप्त किया जा सकता है।
- उम्मीदवारों को निम्नलिखित वस्तुएं परीक्षा केन्द्र पर लाना चाहिए, अन्यथा उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी करने :

क. हॉल टिकट

ख. आईएआई द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के निर्दिष्ट समय से 15 मिनट पहले परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को उनके हॉल टिकट में अंकित अनुक्रमांक के अनुसार सही डेस्क पर प्रत्येक पेपर के शुरू होने से 10 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए। अधीक्षक एवं निरीक्षक को परीक्षा हॉल में प्रवेश करते समय प्रत्येक उम्मीदवार का पहचान पत्र सत्यापित करने की सलाह दी गयी है। इसलिए, प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश करते समय अपना हॉल टिकट और पहचान पत्र निरीक्षक/पर्यवेक्षण कर्मचारी दिखाना चाहिए।

- \* हॉल टिकट और परीक्षा प्राप्ति आपके संबंधित लॉग इन के अंतर्गत आईएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के प्रारंभ होने के 30 मिनट के समाप्त होने के बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही परीक्षा के पूरे 3 घंटे की अवधि के दौरान परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।
- 3 घंटे की परीक्षा पूरी होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार को निम्नलिखित के बिना परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

क) उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना

ख) अपना प्रश्न पत्र और उत्तर – पुस्तिका निरीक्षक को सौंपे बिना

- कोई भी उम्मीदवार अपने साथ परीक्षा हॉल में कोई पेपर, पुस्तक (सिवाय बीमांकन सारणी के), हस्तलिखित अथवा मुद्रित नोट, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा कोई अन्य संचार उपकरण अथवा सामग्री नहीं लाएंगा, चाहे उसका इस परीक्षा से ताल्लुक हो या न हो, ना ही वह किसी उम्मीदवार से किसी अन्य साधन का इस्तेमाल करते हुए परीक्षा हॉल अथवा परीक्षा केन्द्र परिसर में बातचीत करेगा, जब परीक्षा चल रही हो।
- उम्मीदवारों को नीले या काले रंग की स्याही में कलम/बॉल पेन से अपनी स्वयं की लिखावट में उत्तर लिखना अपेक्षित है और किसी अन्य रंग की स्याही में नहीं। प्रश्न पत्रों के उत्तर लाल अथवा हरी रंग की स्याही से लिखना वर्जित है। तदनुसार, उम्मीदवारों को उनके स्वयं के प्रयोग के लिए अपने स्वयं के कलम, पेसिल, स्केल, स्याही की शीशी और कैलकुलेटर लाने की सलाह दी जाती है।
- उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के उपयोग की छूट होगी, बशर्ते कि उसमें कोई स्मृति न हो जिससे कि उसमें पहले से कोई पाठ या सूत्र डाला न जा सके। कैलकुलेटर के उपयोग के अनपेक्ष, अपने उत्तर के साथ व्यवहारिक प्रश्नों के समाधान में सभी महत्वपूर्ण चरणों और संबंधित कार्यकारी नोट निरपवाद रूप से दर्शाने की सलाह दी जाती है। किसी रफ कार्य को 'प्रश्न .... के लिए रफ कार्य' के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए और लिखित सामग्री को एक आड़ी रेखा खींचते हुए काट दिया जाना चाहिए। रफ कार्य लाइन वाले पत्रक के पीछे की ओर किया जा सकता है। कैलकुलेटर अथवा किसी अन्य वस्तु/सामग्री के परीक्षा हॉल में आदान – प्रदान की मनाही है।

\* उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर, सब से पहले, प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी उत्तर पुस्तिका में नीचे दायें कोने में अपना रोल नंबर लिखना चाहिए। इस्तेमाल किए गए पृष्ठों की कुल संख्या का उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर उल्लेख किया जाना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि निरीक्षक ने आपके उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर और आपके द्वारा लिए गए किसी भी अन्य अतिरिक्त उत्तर पत्रक पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, प्रत्येक उम्मीदवार को स्वयं को यह संतुष्ट करना अपेक्षित है उन्हें सही और पूर्ण प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं और इसे परीक्षा समय सारणी और कार्यक्रम के संदर्भ में सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नों की कुल संख्या और मुद्रित पृष्ठ क्रम में हैं।

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि प्रश्न पत्र, हॉल टिकट, पहचान पत्र, स्केल, आदि, पर कुछ भी लिखना या परीक्षा हॉल से कोई पत्र लेने को गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

- उम्मीदवार को प्रश्न पत्र में कहीं भी कुछ भी अप्रासंगिक बातें, प्रश्न पत्र की निंदा, परीक्षक को किसी प्रकार की अपील, अभिवादन अथवा ईश्वर को आह्वाहन नहीं लिखना चाहिए। इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को केवल उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं के लाइनदार हिस्से में उत्तर लिखने चाहिए। अपव्यय और दुरुपयोग की संभावना से बचने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने पर उन्हें दी गयी उत्तर पुस्तिका का पूरी तरह उपयोग करने के पश्चात ही उनकी मांग पर अतिरिक्त उत्तर पत्रक दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका में की गयी छेड़छाड़ के किसी भी प्रयास को कदाचार माना जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक नये पृष्ठ से शुरू किया जाना चाहिए और उसी प्रश्न के उप प्रश्न (प्रश्नों) के उत्तर क्रम में लिखे जाने चाहिए। किसी नये प्रश्न अथवा उप प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले स्पष्ट रूप से संबंधित प्रश्न संख्या का बड़े एवं मोटे अक्षरों में उल्लेख करना चाहिए।
- उम्मीदवारों से प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट में लिखना अपेक्षित है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षकों द्वारा यथोचित सुपाठ्य लिखावट अपेक्षित है और यह कि यदि परीक्षकों को लिपि पढ़ने में अनुचित श्रम लगता है तो उन्हें इसके लिए दंडित किया जा सकता है।
- परीक्षा समाप्त होने पर, उत्तर पुस्तिका और प्रश्न – पत्र अलग अलग, तुरंत झूटी पर तैनाक निरीक्षक को सुपूर्द किया जाना चाहिए।

- अपनी उत्तर - पुस्तिका, यदि वह खाली है फिर भी, परीक्षा हॉल में तैनात संबंधित निरीक्षक को विधिवत सौंपना उम्मीदवार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अपनी उत्तर - पुस्तिका सौंपने के समय, लिखित उत्तर पुस्तिका अथवा उसका कोई भाग परीक्षा हॉल में समर्पित करने में, किसी भी कारण से हूई चूक से संबंधित किसी अभ्यावेदन पर, उस पेपर की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात, विचार नहीं किया जाएगा।
- आपके ध्यान में लाया जाता है कि पेशेवर आचरण मानक में निहित प्रावधानों के अनुसार, परीक्षा के दौरान या उसके संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार नकल करते हुए अथवा किसी अन्य प्रकार के कदाचार करते हुए पाया जाता है तो उस उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आईएआई की सदस्यता से निष्कासन एवं निलंबन भी शामिल है।
- सीए, एसटी और एसए शृंखला की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के समय, प्रश्न पत्रपढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों को इस समय का केवल पठन करने के लिए उपयोग करने के लिए पुरजोर प्रोत्साहित किया जाता है, परंतु नोट बनाए जा सकते हैं। फिर, उम्मीदवारों के पास पेपर पूरा करने के लिए तीन घंटे का समय होता है। उन्हें परीक्षा शुरू होने से पहले उत्तर - पुस्तिका में लिखना शुरू नहीं करना चाहिए।
- परीक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए उम्मीदवारों को सुश्री गौरी कोठारी को उनकी ई-मेल [gauri@actuariesindia.org](mailto:gauri@actuariesindia.org) पर पत्र लिखने की सलाह देती है। परीक्षा समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर प्राप्त पृच्छाओं का ही जवाब दिया जाएगा।  
परीक्षा हॉल के अंदर धूम्रपान, तंबाकू चबाना, पान, नशा, मोबाइल लाना, आदि बिल्कुल निषिद्ध है।

**नोट:** यह एक कंप्यूटर जनित हॉल टिकट है इसलिए इस पर किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची झ  
फार्म च

**[विनियम 10 (2) देखें]**

**व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र**

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

सेवा में,  
कार्यकारी निदेशक  
भारती बीमांकन संस्थान

प्रिय महोदय,

- मैं निम्नलिखित विवरण के अनुसार वर्ष ..... ..... के लिए शुल्क के मद में ..... रुपए का दिनांक ..... का चेक/ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूँ :-
- मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैंने “भारतीय बीमांकन संस्थान (सदस्यों के रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि, देय परीक्षा और प्रशिक्षण शुल्क, मानद सदस्य चयन प्रक्रिया, संबद्ध सदस्यों के प्रवेश, छात्र सदस्य और पेशा प्रमाण पत्र निर्गम) विनियम, 2017” के खंड 10 में परिषद द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी अर्हताओं को पूरा कर लिया है।
- मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे शीघ्रताशीघ्र व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

स्थान :

तिथि :

आपका विश्वासी

हस्ताक्षर  
सदस्यता संघर्ष

अनुसूची ज  
फार्म ट

[विनियम 10 (4) देखें]

व्यवसाय (फेलो) प्रमाण पत्र

(प्रारूप - नवीनतम फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा)

भारतीय बीमांकन संस्थान

(प्रतीक)

तिथि

नाम: .....

सदस्यता सं.....

व्यवसाय का क्षेत्र .....

भारतीय बीमांकन संस्थान (परीक्षा और प्रशिक्षण, आवेदन करने के तरीके, देय शुल्क, मानद सदस्यों के चयन की पद्धति, संबद्ध सदस्य के प्रवेश के नियम और शर्तें, एक छात्र सदस्य के प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय प्रमाण पत्र के लिए अपेक्षित योग्यता) विनियम, 2015 के प्रावधानों और/अथवा उसके तत्संबंधी संशोधनों के अध्यधीन व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र ..... 20..... के ..... दिवस से ..... 20..... के ..... दिवस तक प्रभावी होगा।

भारतीय बीमांकन संस्थान के सामान्य मुद्रा के तहत ..... 20..... के ..... दिवस को प्रदान किया जाता है।

(मुद्रा)

अधिपति

कार्यकारी निदेशक

### INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 11th May, 2017

**F. No. M-18012/03/2008-Ins.III**—whereas, the draft of certain regulations, namely, the Institute of Actuaries of India (Entry of Names in Register of Members, Fees Payable, Honorary Members, Affiliate Members, Student Members and Issuance of Certificate of Practice) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, vide notification number M-18012/03/2008-Ins.III dated the 2<sup>nd</sup> December, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette were made available to the public; and whereas, copies of the Gazette were made available to the public on the 2<sup>nd</sup> December, 2016;

And, whereas, objections and suggestions received from the public have been considered by the Council of the Institute of Actuaries of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of section 56 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Council of the Institute of Actuaries of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

#### 1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Institute of Actuaries of India (Admission as Member and Issuance of Certificate of Practice) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

## **2. Definitions.—**

In these regulations, unless the context otherwise requires,

(1) (a) “Act” means the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006);

(b) “certificate of practice” means the certificate of practice issued to a person who is entitled to practice as an Actuary under the Act;

(c) “Honorary Secretary” means Honorary Secretary to the Council of the Institute of Actuaries of India;

(d) “Institute” means the Institute of Actuaries of India constituted under section 3 of the Act.

(2) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, or any rule or regulation made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or such rule or regulation, as the case may be.

## **3. Qualification for membership of Institute.—**

(1) (a) Any person who qualifies the examination specified in this regulation shall be entitled to have his name entered in the register as an associate or a fellow member of the Institute.

(b) The Institute shall upload on its website in a manner accessible to its members the syllabi for the examination referred to in sub-regulation (1) :

Provided that any amendment, alteration or variation in the syllabi for any paper of study or examination shall take effect not less than three months after the date of notification on the website of the Institute.

(2) (a) The examination shall be conducted in such manner and at such time and place as the Council, or a committee or a group of persons authorised by the Council, may decide, from time to time.

(b) The committee or person appointed by the Council shall maintain a list of approved examiners for the purpose of the examinations under this regulation.

(3) (a) An application for admission to an examination shall be made online or in **Form E** of **Schedule H**.

(b) Every application under clause (a) shall be accompanied by such fees specified in sub-regulation (2) of regulation 6 so as to reach the Institute in time and in accordance with the directions given by the Council from time to time and the Institute shall issue an examination admit card in **Form K** of **Schedule I** to each candidate appearing in the examination.

(4) (a) The Council, or a committee or persons authorised by the Council for this purpose, may, for any sufficient reason to be recorded in writing, refuse to admit a candidate to an examination or admit him to an examination subject to such conditions considered to be reasonable in the circumstances of the case or may for any sufficient reason to be recorded in writing, refuse a candidate admission to an examination hall or expel him from an examination hall, after he has been admitted to it in the usual course :

Provided that no candidate shall be refused admission to an examination or be expelled from an examination hall without giving him an opportunity of being heard.

(b) If a candidate is reported to have behaved in a disorderly manner in or near an examination hall or is reported to have resorted to or attempted to have resorted to unfair means for the purpose of passing or disturbing an examination, the Council or a committee or a person authorised by it, may, on receipt of a report to that effect and after such investigation as it may deem necessary take such disciplinary action including cancellation of candidate’s examination result or cancellation or suspension of his student membership or both, as it may think fit, provided that an opportunity shall be given to the candidate of being heard before an order affecting him is passed.

(c) Any order passed by the Council, or the committee or the person authorised by the Council, may be reviewed by the Council on a representation made by the affected candidate and that the decision of the Council shall be final and binding on all concerned.

(d) The examination fee paid by a candidate may be refunded under certain circumstances as per the guidelines issued by the Council or the committee or the person authorised by it.

(5) (a) A list of candidates declared successful at each examination shall be published on the website of the Institute after it is duly signed by an authorised person:

Provided that the Institute may also intimate the candidates of their results individually.

(b) The Council or the committee authorised by it may, under exceptional circumstances and arising out of systemic error, revise the marks or grades obtained by all candidates or a section of candidates in any particular

paper or papers or in the aggregate in such manner as it may consider necessary, for maintaining the pass standards.

*Explanation.—For the purposes of this clause, the term “section” refers to a category of the candidates who meet certain criteria as set out by the Council.*

(6) Notwithstanding anything contained in this regulation, where it is found that the result of an examination has been affected by error, malpractice, fraud, improper conduct or other matter, of whatever nature, the Council or the committee authorised by it shall have the power to amend such result, in such manner as shall be in accordance with the true position and to make such declaration as the Council shall consider necessary in that behalf:

Provided that no such amendment shall be made which adversely affects a candidate, without giving him an opportunity of being heard:

Provided further that in the event of an error not arising out of any act or default on the part of a candidate, proceedings for amendment adversely affecting the candidate shall not be initiated after the expiry of a period of one month from the date of the declaration of result.

(7) Every candidate who has passed an examination under this regulation shall be given a performance report to that effect in **Form G** of **Schedule A**.

#### **4. Qualification for registration as a fellow member.—**

(1) A person may be registered as a fellow member if he -

- (a) has passed the examination for fellow membership under regulation 3;
- (b) has completed such professional or other course or training as stipulated by the Council from time to time; and
- (c) has relevant work experience as stipulated by the Council from time to time.

(2) The examination referred to in regulation 3 shall stand waived for a person seeking admission as a fellow member under the Mutual Recognition Agreement (MRA) entered into by the Institute with other actuarial bodies located outside India if --

- (a) on the date of application for fellow membership of the Institute, the person continues to be a member of the actuarial body which has the MRA with the Institute;
- (b) on the date of application for fellow membership of the Institute , the person satisfies the relevant requirements of MRA with the concerned actuarial body :

Provided that the Council shall provide the information of all concerned actuarial bodies with whom the Institute has entered in MRA on the website of the Institute.

(3) A person who desires to be admitted as a fellow member shall make an application to the Institute in **Form D of Schedule C** together with documentary evidence as to his eligibility for admission as a fellow and the fee specified in sub-regulation(1) of regulation 6:

Provided that the applicant shall provide such other information as the Council may require.

(4) A certificate of fellow membership shall be issued in **Form I of Schedule G**.

#### **5. Qualification for registration as an associate member.—**

(1) A person shall be admitted as an associate member if he -

- (a) has passed the examination for associate membership under regulation 3; and
- (b) has completed such professional or other course or training as stipulated by the Council from time to time; and
- (c) has relevant work experience as stipulated by Council from time to time.

(2) The examination referred to in regulation 3 may be dispensed with in the case of a person who has passed such examination as stipulated by the Council from time to time from another actuarial body or an academic institution deemed to be equivalent to the corresponding examination of the Institute.

(3) A person who desires to be admitted as an associate member shall make an application to the Institute in **Form B of Schedule B**, together with documentary evidence as to his eligibility for membership and the fee specified in sub-regulation (1) of regulation 6;

Provided that the applicant shall furnish such other information as the council may require.

(4) A Certificate of an associate membership shall be issued in **Form H of Schedule F**.

**6. Fees .—**

(1) Every application for entry of names in the register under regulation 4 and regulation 5 shall be accompanied with a fee of an amount not exceeding twenty-five thousand rupees, as the Council may determine from time to time.

(2) Every application for admission to an examination under sub-regulation (3) of regulation 3 shall be accompanied with a fee of an amount not exceeding one lakh rupees per subject for students in India including South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) countries, as the Council may determine from time to time:

Provided that the examination fees payable by persons with examination centre outside India and SAARC countries shall be such amount not exceeding two lakh rupees per subject, as the council may determine from time to time.

(3) Every member shall pay annual membership fee of such amount not exceeding one lakh rupees, as the Council may determine, from time to time :

Provided that the members whose address for correspondence is located outside India in the register of members, shall pay such annual membership fee of an amount not exceeding two lakh rupees, as the Council may determine from time to time.

(4) The Council shall determine fees for course material, coaching, counselling, training and other purposes:

Provided that such fee shall not exceed fifty thousand rupees per subject, as the Council may determine from time to time.

Provided further that persons with address for correspondence outside India shall pay such fees not exceeding one lakh rupees per subject, as the Council may determine from time to time.

**7. The manner in which honorary members may be chosen.—**

The Council may, by a vote of not less than four-fifths of all its members, admit as an honorary member under sub-section (1) of section 8 of the Act, a person who, on account of his eminence and his experience in matters related to the profession of actuary is considered to be able to render assistance in promoting the objects of the Institute provided that he is not practicing as an Actuary :

Provided that the person to be considered for such admission shall satisfy all the requirements stipulated by the Council from time to time.

**8. Admission as an affiliate member of the Institute.—**

(1) Any person who possesses a qualification from another actuarial body deemed by the Council as equivalent to the fellow membership of the Institute and who is not less than twenty-one years of age shall be entitled to be admitted as an affiliate member of the Institute under sub-section (2) of section 8 of the Act.

(2) Any person referred to in sub-regulation (1) who desires to be admitted as an affiliate member of the Institute shall make an application to the Institute in **Form C of Schedule E** together with documentary evidence about his eligibility for membership and on payment of a fee specified in sub-regulation (1) of regulation 6:

Provided that the Institute has a reciprocity agreement with such actuarial body through the signing of a mutual recognition agreement or the like as duly authorised by the Council.

(3) The determination as to whether an actuarial qualification referred to in sub-regulation (1) from another actuarial body is deemed as equivalent to fellow membership of the Institute shall be as per the norms laid down by the Council from time to time in this regard.

**9. Admission as a student member of the Institute.—**

(1) Any person who has passed 10 plus 2 or equivalent and has cleared Actuarial Common Entrance Test (ACET) conducted by the Institute shall be entitled to be admitted as a student member of the Institute under sub-section (3) of section 8 of the Act.

(2) Any person who desires to enroll himself as a student member of the Institute shall make an application to the Institute in **Form A of Schedule D** together with documentary evidence as to his eligibility for membership and accompanied by a fee specified in sub-regulation (1) of regulation 6.

**10. Qualification, form and fee for certificate of practice.—**

(1) A fellow member of the Institute whose name is entered in the register maintained by the Institute under section 6 of the Act and who possesses the experience and the norms laid down by the Council from time to time, shall be entitled to apply for a certificate of practice under this regulation.

(2) An Application for certificate of practice shall be made in **Form F of Schedule J** accompanied by such fee as may be determined by the Council from time to time but which shall not exceed one lakh rupees in any case.

(3) Notwithstanding anything contained in this regulation, a certificate of practice held by a member under section 9 of the Act shall be deemed to have been issued under this regulation and shall continue to be valid until it is cancelled.

(4) A certificate of practice shall be issued in **Form J of Schedule K.**

**11. Cancellation of certificate of practice.—**

(1) A certificate of practice issued under regulation 10 shall be liable for cancellation if -

(i) the name of the holder of the certificate is removed from the register under section 24 of the Act; or

(ii) the Council is satisfied, after giving an opportunity of being heard to the person concerned, that such certificate was issued on the basis of incorrect, misleading or false information, or by mistake or inadvertence; or

(iii) a member has applied for cancellation as he has ceased to practice; or

(iv) a member has not paid annual fee for certificate of practice on or before the first day of April, of the relevant year, or any other dues are pending for more than ninety days; or

(v) a member has not fulfilled the experience or the norms laid down by the Council; or

(vi) a member has not paid annual membership fee till the 30<sup>th</sup> day of June of the relevant year; or

(vii) any other criteria which the Council may notify, for cancellation of certificate of practice.

(2) The cancellation of a certificate shall be effective -

(a) in a case falling under clause (i) of sub-regulation (1), on the date on which and during the period for which, the name of the holder of the certificate was removed from the register;

(b) in a case falling under clauses (iv), (v) and (vi) of sub-regulation (1), from the 15th day following the date of issue of notice by the Institute ;

(c) in any other case, from such date and for such period, as may be decided by the Council.

(3) Where a certificate is cancelled, the date from which the certificate shall stand cancelled shall be communicated to the member and published on the website of Institute:

Provided that the Council may, on an application made in the approved form and on payment of such fee and subject to fulfilling of such requirements as may be necessary for the compliance of these regulations, restore the certificate of practice with effect from the date on which it was cancelled, to a member whose certificate has been cancelled due to non-payment of the annual fee or non-fulfillment of the requirements for the certificate of practice and whose application, complete in all respects, together with the fee, is received by the Institute before the expiry of the relevant year.

**12. Council to issue clarifications.—**

In order to remove any doubt or difficulty that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Council of the Institute of Actuaries of India may issue appropriate clarifications or guidelines consistent with the provisions of these regulations.

R. B. UPADHYAY, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty.64/17]

**Schedule A  
Form G  
[See regulation 3(7)]  
Examination Certificate Form**

(Performa – latest form will be available on website)

**Performance Report**

Ref No: - XXXXXXXXXX

Date: DD/MM/Year

Name: XXXXXXXXXXXXXXX

Address: XXXXXXXXXXXX

Your result for **XXXXXX Examination** is shown below: Those who have not passed should refer to the notes below

Subject	Roll No	Centre	Grade
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	PASS/FA/FB/FC/FD

**Notes:** - Any grade of failure shown on your results is an indication of the overall standard achieved. The mark ranges below are given to assist those candidates who have failed the examination to assess the degree of the improvement required.

- **FA** : 1-5 percentage points below the pass mark
- **FB** : 6-15 percentage points below the pass mark
- **FC** : 16-25 percentage points below the pass mark
- **FD** : More than 25 percentage points below the pass mark

Affix latest  
passport size  
(3.5 cm\*3.5 cm)  
Photograph

**For example: If the pass mark were 55%, the FB range would indicate a mark of 40-49%.**

An FD grade (or repeated FC or equivalent from the previous examination system), after proper and full preparation, suggests that the candidate should consider their plans carefully and seek advice where appropriate.

**Note: This is a computer generated report thus requires no signature.**

**Schedule B**  
**Form B**  
[See regulation 5 (3)]  
**Application form for admission as an Associate**

(Performa – latest form will be available on website)

Application form for Admission as an Associate Member

*Please complete this form and return it to:*  
Examinations team, Institute of Actuaries of India, 302, Indian Globe Chambers, 142,  
Fort Street, Off D N Road, Near CST (VT) Station, Mumbai – 400001

**Note:**

1. Please use BLOCK CAPITALS and blue ink when filling this form.
2. Please “initial” each page.
3. Please attach copies of all your qualification certificates mentioned in this application – duly self - attested.
4. Fees for Associate Membership is Rs 1500. Kindly send Cheque/DD in favor of “Institute of Actuaries of India” payable at Mumbai.

**Criteria: -**

1. Student member who has passed/been exempted all Core Technical series (CT1 to CT9) and all Core Application series (CA1 to CA3) subjects is eligible (on application) to become Associate Member of the Institute.

**Section 1 – Applicant Details**

Name: Mr/ Mrs/ Ms/Dr (Mandatory)

IAI Membership No Date and Year of Admission

--	--	--

First name      Middle name      Surname

Tel(R)	
--------	--

Tel (O)	
---------	--

#### **Current Residential Address**

Flat/Door/Block no  
Office

Name of the Premise/Building/Village

Road/Street/Post

Area/Locality

Town/City/District

Pin

State

Country

#### **Current Employment Details**

Employer Name

Block no

Name of the Premise/Building

Road/Street/Post Office

Area/Locality

Town/City/District

Pin

State

Country

Employee Designation \_\_\_\_\_ Employee Department: \_\_\_\_\_

#### **Section 2 – Details of Subject passed**

Subject	Passed/ Exempted	Exam Diet
CT1		
CT2		
CT3		
CT4		
CT5		
CT6		
CT7		
CT8		
CT9		

<b>CA1</b>		
<b>CA2</b>		
<b>CA3</b>		

**Section 3 – Details of Academic and Actuarial qualification/s obtained with dates and particulars of membership of other actuarial professional body/ies**

Name of the College/University/Institution	Academic Qualification/ Actuarial designation	Year of passing/Year of Admission

**Section 4 – Method of Payment**

Cheque / DD No: \_\_\_\_\_

Dated:

Drawn on (name of the Bank): \_\_\_\_\_

Amount:

**Section 5 – Declaration**

I hereby apply for admission as an Associate member of the Institute of Actuaries of India and declare that;

1. I have not at anytime been convicted of an offence (other than violation of a Road Traffic Laws) by any court of jurisdiction in India or elsewhere.
2. I have not at any time been either in India or elsewhere censured, disciplined or publicly criticized by any professional body to which I belong or belonged or been dismissed from any office or employment or refused entry to any profession or occupation.
3. I am not subject to any of the disqualifications stated in section 11 of the Actuaries Act, 2006
4. I further understand that the decision of the Council of the Institute of Actuaries of India on this application shall be final and binding on me.

Name:  
Date:  
Place:


Signature

--

(Please sign within the box)

**Schedule C  
Form D  
[See regulation 4(3)]  
Application form for admission as a fellow member**

(Performa – latest form will be available on website)

Application form for Admission as Fellow Member

*Please complete this form and return it to:*

*Examinations team, Institute of Actuaries of India, 302, Indian Globe Chambers, 142, Fort Street, Off D N Road, Near CST (VT) Station, Mumbai – 400001*

**Note:**

1. Please use BLOCK CAPITALS and blue ink when filling this form.

2. Please “initial” each page.

3. Fees for various classes of Membership is as below:

(MRA: Mutual Recognition Agreement)

Particulars	Fees
Student to Fellow	Rs 5000
Associate to Fellow	Rs 5000
Fellow (MRA Route)	Rs 10000
Affiliate to Fellow	Rs 5000

Affix latest  
passport size  
(3.5 cm\*3.5 cm)  
Photograph

Kindly send the Cheque/ Demand Draft in favor of “Institute of Actuaries of India” payable at Mumbai.

## CRITERIA

### Fellowship (IAI Examination Route) for Students / Associate

- Should be current student member of IAI
- A Student member should have passed all the prescribed examination of IAI or should have been exempted from one or more subjects as per rules [Core Technical (**CT1 to CT9**—Nine Papers), Core Application (**CA1 to CA3** – three papers), Specialist Technical (**ST1, ST2, ST4 to ST9** -Any two out of eight) and Specialist Application (**SA1 to SA6** -any one out of six)]
- Minimum Three years of work based actuarial experience
- Attended India Fellowship Seminar (Validity - to be admitted as FIAI within 24 Months of successful attending IFS Seminar)

### Fellowship (Affiliate to Fellow Route)

- Confirmation from parent body that
  - He has attained fellowship by examination route. (Where IAI has Mutual Recognition Agreement)
  - His subscription is up to date
  - There is no Public Disciplinary sanction imposed against him
- One year India-Resident Actuarial Work experience
- Attended India Fellowship Seminar (Validity - to be admitted as FIAI within 24 Months of successful attending IFS Seminar)

### Fellowship (MRA Route)

- Should be Fellow member of Other Actuarial Body (where IAI has Mutual Recognition Agreement)
- Confirmation from parent body that
  - He has attained fellowship by examination route
  - His subscription is up to date
  - There is no Public Disciplinary sanction imposed against him
- One year India-Resident Actuarial Work experience
- Attended India Fellowship Seminar (Validity - to be admitted as FIAI within 24 Months of successful attending IFS Seminar)

A

Kindly tick on the criteria under which you are eligible for Fellow Membership

Student Membership

MRA Route

Associate Membership

Affiliate Membership

**Section 1 – Applicant Details**

Name: Mr/ Mrs/ Ms/Dr (Mandatory)

IAI Membership No

Year of Admission

--	--	--

First name

Middle name

Surname

Mob	Tel(R)	Tel (O)
-----	--------	---------

**Current Residential Address**Flat/Door/Block no  
Office

Name of the Premise/Building/Village

Road/Street/Post

--	--	--

Area/Locality

Town/City/District

Pin

--	--	--

State

Country

--	--

**Current Employment Details**

Employer Name

Block no

Name of the Premise/Building

--	--	--

Road/Street/Post Office

Area/Locality

Town/City/District

--	--	--

Pin

State

Country

--	--	--

Employee Designation \_\_\_\_\_ Employee Department: \_\_\_\_\_

**Section 2 – Details of Subjects passed**

Subject	Passed/ Exempted	Exam Diet	Exam Pass from IFOA, IAI or any other Actuarial
CT1			
CT2			
CT3			

CT4			
CT5			
CT6			
CT7			
CT8			
CT9			
CA1			
CA2			
CA3			
ST_			
ST_			
SA_			

**Section 3 – Details of Academic and Actuarial qualification/s obtained with dates and particulars of membership of other actuarial professional body/ies**

Name of the College/University/Institution	Academic Qualification/ Actuarial designation	Year of passing/Year of Admission

**Section 4 – India Fellowship Seminar:**

Please mention the dates on which attended along with evidence.

--

**Section 5 - Actuarial Work Based Experience:-**

Sr No	Name of the Employer	Joining Date	Resignation date	Work Location	Designation

**Note:**

- Original Experience Certificate is required from each Employer/s.
- Experience Certificate must be printed on Company Letterhead.
- It should include your name, designation and period of Actuarial work.
- Brief description of Job profile (Actuarial related work) and nature of work handled during the period      e.g. Department, Responsibilities etc.

5. Must be signed by HR Manager or your Immediate Authority. Should contain their Phone No and Email Id.
6. Applicants through Affiliate Membership or MRA Route should attach Experience Certificate from Employer/s establishing India based actuarial related work experience.

### **Section 6 – Method of Payment**

Cheque / DD No: \_\_\_\_\_ Dated: \_\_\_\_\_

Drawn on (name of the Bank): \_\_\_\_\_ Amount: \_\_\_\_\_

### **Section 7 – Declaration**

I hereby apply for admission as a Fellow member of the Institute of Actuaries of India, under Rule 2(i) of the Rules of the Institute and declare that;

1. I have not at anytime been convicted of an offence (other than violation of a Road Traffic Laws) by any court of jurisdiction in India or elsewhere.
2. I have not at any time either in India or elsewhere been censured, disciplined or publicly criticized by any professional body to which I belong or belonged or been dismissed from any professional office or employment or refused entry to any profession or occupation.
3. I am not subject to any of the disqualifications stated in section 11 of the Actuaries Act 2006
4. [Applicable for Affiliate and MRA Route applicants only] – I also further understand that Fellow membership of the Parent body shall be kept in force as long as my Fellow Membership of IAI is in force in terms of the rules governing such membership and that I shall automatically cease to be Fellow member of IAI on cessation of the Fellowship of other Actuarial Body (parent body) for whatsoever reasons.

I further understand that the decision of the Council of the Institute of Actuaries of India on this application shall be final and binding on me.

Name:   
 Date:   
 Place:

Signature:

(Please sign within the box)

**Schedule D  
Form A**  
**[See regulation 9(2)]**  
**Application form for admission as a student**

(Performa – latest form will be available on website)

### **APPLICATION FORM FOR STUDENT MEMBERSHIP**

*Please complete this form and return it to:*

*Admissions team, Institute of Actuaries of India, 302, Indian Globe Chambers, 142, Fort Street, Off D N Road, Near CST (VT) Station, Mumbai – 400001*

**Notes:**

- For more information, please contact acet@actuariesindia.org or telephone 022-67843355/302.
- We will only accept hard copies of the application form. Emailed forms will not be processed.
- All sections of this form must be completed in full and submitted with all the required documents. Failure to do so will result in your form being returned to you.

Affix latest Passport size(3.5 cm \* 3.5 cm)  
 Photograph.  
 Signature of student and Attesting Authority's sign and stamp should be across the photograph

- Applications can take up to three weeks to process. Your Membership Confirmation letter with your login ID and password will be sent to your email ID only.
- Please use BLOCK CAPITALS and blue ink when filling this form.
- You will receive the Blank ID card by courier once your application is approved.

### Section 1 – Criteria for becoming student member

*Kindly tick on the criteria under which you are eligible for Student Membership (Refer annexure1 for more details)*

1(a)/ACET  2(a)  2(b)  2(c)  2(d)

### Section 2 – Applicant Details

Name: Mr/ Mrs/ Ms/Dr

First name

Middle name

Surname

Father's/Husband's Name

Date of Birth:

<input type="text"/>							
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

Nationality:

Gender:

Male

Female

Note: All the communication from IAI, e.g. membership confirmation, receipt, etc would be through email and hence it is essential that you mention your email id.

E-mail ID

Alternate Email ID

Mob

Tel(R)

Tel (O)

**Are you a member of any other actuarial body? If so, please give the following information.**

Name of the Institute	Membership No.	Year of Admission	Membership Class	Details of subject passed

Failure to provide the correct correspondence address, telephone number and e-mail address, in clear handwriting, will result in the applicant not receiving information about their application form and other communication from IAI

Please indicate which address you would like all correspondence send to. Kindly tick on any **one** of the below

Permanent	<input type="checkbox"/>	Residential	<input type="checkbox"/>	Employer	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------	--------------------------

### PERMANENT ADDRESS

Flat/Door/Block no  
Office

Name of the Premise/Building/Village

Road/Street/Post

Area/Locality	Town/City/District	Pin
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

State	Country
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**CURRENT RESIDENTIAL ADDRESS – Same as above**

Flat/Door/Block no Office	Name of the Premise/Building/Village	Road/Street/Post
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Area/Locality	Town/City/District	Pin
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
State	Country	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

#### **CURRENT EMPLOYMENT DETAILS**

Employer Name	Block no	Name of the Premise/Building
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Road/Street/Post Office	Area/Locality	Town/City/District
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pin	State	Country
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Employee Designation \_\_\_\_\_ Employee Department: \_\_\_\_\_

#### **Section 3 – Method of Payment**

**Total Admission Fees (inclusive of Subscription Fees) up to 31<sup>st</sup> March 2016 is Rs. 1500/-**

DD / Pay Order No: \_\_\_\_\_ Dated: \_\_\_\_\_

Drawn on (name of the Bank): \_\_\_\_\_ Amount: \_\_\_\_\_

**Note:**

- a) Please send the fee by demand draft/pay order in favor of '**Institute of Actuaries of India**' payable at

Mumbai. **Demand Draft should not be stapled but attached with a U pin. DDs' with spelling or other errors will result in rejection of application form.** DD bounce charges would be Rs 500/-

- b) Please write at the backside of DD: Candidate ID, your name and contact no.
- c) During the Financial Year i.e. April to March, whenever the admission is taken, the subscription will be applicable only for that financial year e.g.: For admission taken on 2<sup>nd</sup> March 2015 subscription will be valid till 31<sup>st</sup> March 2015. The subscription for 2016-2017 will be due on 1<sup>st</sup> April 2016. For further details kindly contact Ms. Vijaya Bhosle at [actsoc@actuariesindia.org](mailto:actsoc@actuariesindia.org)
- d) If you wish to appear for **XXXXXX exam diet**, the Institute should receive this form duly filled by XXXXXX. Membership forms received after this date will be eligible to appear for subsequent exam diets and NOT for **XXXXX exam diet**.
- e) Applicants from **outside India** paying in US Dollars have to send the **Demand Draft equivalent to Rs.2000/-** (Fees Rs.1500/ + Bank charges Rs.500/)
- f) An additional photograph attached with a U Pin to be sent along with the Admission Application Form.

#### **Section 4 – Documents to be submitted**

All the documents which are required to be submitted along with Admission Application form should be attested (with stamp) by any one of the following authorities. Please put a tick mark against the category of person who has attested your documents. Professionals should mention their Institute's Membership number and affix their stamp. Attestation done by **relatives is not valid**.

**Note:** The Attesting Authority should compulsorily mention his/her contact number and email Id in the attestation for verification.

1	CA		6	Bank Manager	
2	ICWA		7	National Insurance Academy (Director)	
3	Gazetted officer				
4	Notary		8	Class one officer in government /semi government organization	
5	Actuary				

#### **(1) Resident in India (irrespective of nationality of the applicant)**

##### **(a) ACET passed**

**Compulsory Documents mentioning English as one of the subjects: (All to be submitted)**

SSC Mark sheet	HSC Mark sheet	HSC Passing certificate	Two passport size photographs	
----------------	----------------	-------------------------	-------------------------------	--

If there is change in name then documentary evidence such as marriage certificate, Affidavit is required for the same.	Others(specify)	
--	-----------------	--

#### **Proof of age mentioning your Date of Birth (Any one of the following)**

Pan card	SSC Mark sheet	SSC Passing certificate	School Leaving Certificate
Passport	Birth Certificate	Driving License	College Leaving certificate

#### **(2) Resident outside India**

**Proof of Nationality** -

**HSC (10+2)** -  HSC Mark sheet  HSC Passing certificate

**Graduation** -  Mark sheet of all semesters  passing certificate of all semesters

**Post Graduation** -  Mark sheet of all semesters  passing certificate of all semesters

#### **Fully Qualified Members of Institute of Chartered Accountants and Institute of Cost and Work Accountants**

Proof of	<input type="checkbox"/>	Mark sheet of the	<input type="checkbox"/>	Certification of Qualification	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------

Membership	subjects cleared	issued by the Institute
------------	------------------	-------------------------

Membership of Actuarial Body	Proof of Membership	Passing certificate of the subject cleared
<b>Institute and Faculty of Actuaries</b>		
<b>Institute of Actuaries of Australia</b>		
<b>Society of Actuaries</b>		
<b>Casualty Actuarial Society</b>		

### Section 5 - Declaration to be signed by Applicant

*Before signing this declaration, you are strongly advised to read the Actuaries Act, 2006, Rules and Regulations of the of the Institute of Actuaries of India which are available on our website, <http://actuariesindia.org/>*

- I apply to the Council for admission as a Student of the Institute of Actuaries of India.
- I confirm that I am a fit and proper person to be admitted as a Student of the Institute of Actuaries of India.
- I confirm that I do not have any criminal convictions, other than any arising under the Road Traffic Acts, and that I am not aware of any incidents in which I have been involved that might lead to a criminal charge or conviction against me.
- I have not, either in the India or elsewhere
  - been censured, disciplined or publicly criticized by any professional body to which I belong or belonged;
  - or been dismissed from any office or employment;
  - or been excluded from a university course for misconduct;
  - or refused entry to any profession, association or occupation.
- I am not aware of any circumstances that would make me unsuitable for studentship of the Institute of Actuaries of India.
- If my application is approved, I understand and agree:
  - to conform to the Actuaries Act, 2006, Rules and Regulations of the Institute of Actuaries of India and the Professional Code of Conduct as now exists, or as may in future be altered, amended or enlarged, and I will, to the best of my ability, promote the objects of the Institute of Actuaries of India..
  - That I shall be subject to the Disciplinary Rules of the Institute of Actuaries of India.
- I understand that to withdraw from membership I must inform the Membership Team of my resignation and that after payment of any arrears, delivery or books, papers or other property of the Institute of Actuaries of India, I will be free from these obligations.
- I further declare that I have not applied earlier to the Institute for admission as a member.

Name:  
Date:  
Place:


Signature:

--

(Please sign within the box)

**Note:** In case the applicant has earlier applied for admission as a member, the details of same should be furnished including whether such admission was granted or denied. In case of concealment of this information, membership may be cancelled.

Annexure 1

A person is eligible for admission if he/she satisfies the following condition:

Passed 10+2(H.S.C) or equivalent and passed **Actuarial Common Entrance Test (ACET)** conducted by the Institute.

Provided that the Council shall have the power to change the admission criterion mentioned above from time to time.

\*\*\*\*\*

### Schedule E Form C

[See regulation 8(2)]

### Application form for admission as an Affiliate

(Performa – latest form will be available on website)

Application form for an Affiliate member of the Institute of Actuaries of India

1. Please use BLOCK CAPITALS and blue ink when filling this form.
2. This application contains a “Note on Affiliate Membership”.
3. Please “initial” each page.
4. Please attach copy of your all qualification certificates mentioned by you in this application, duly self - attested.
5. Affiliate Membership Fees is Rs.10000.

Affix latest  
passport size  
(3.5 cm\*3.5 cm)  
Photograph

#### **Note on Affiliate Membership**

The Council may on application by a person who is a Fellow Member of other Actuarial Professional Body where Institute has a reciprocity agreement with such actuarial body consider to admit as an Affiliate member. Such reciprocity arrangement shall be evidenced through the signing of a Mutual Recognition Agreement or its equivalent between the IAI and the Other Professional Actuarial Body, as authorized by the Council. On admission, the Affiliate member shall pay the Institute, the subscription fees and any other levies as are payable by the Fellow Members of the Institute. An Affiliate Member shall not use the designatory letter viz FIAI or any other of the Institute. An affiliate Member shall not be entitled to be elected to the Council of the Institute. An Affiliate member shall have no right to vote on any matter or resolution in any meeting of the Institute.

#### **Requirement for Admission as Affiliate member**

- Current Fellow of an Actuarial Professional Body with which IAI has Mutual Recognition Agreement (MRA). As per decision of Council in its meeting held on 8 December, 2012 [Currently IAI has MRA with Institute & Faculty of Actuaries (IFoA) & Institute of Actuaries of Australia (IAAust)], herein after called the Parent body.
- Confirmation from Parent body that you have attained fellowship by examination route and the year of admission and that your membership is in-force.
- There is no disciplinary action taken or pending against you by the Parent body or any other actuarial body of which you are or have been a member.

#### **(1) Applicant Details:**

Name: Mr/ Mrs/ Ms/Dr (Mandatory)

First name	Middle name	Surname
------------	-------------	---------

Name for Communication

--

Nationality:

--

Father's Name: Mr/ Mrs/ Ms/Dr (Mandatory)

First name	Middle name	Surname
------------	-------------	---------

#### **(2) Date of Birth**

DD	MM	YYYY

(3) Whether you are a member of Institute of Actuaries of India? If yes then please mention your IAI Membership number and the class of membership.

IAI Membership ID	
Class of membership	

## (4) Current Residential Address

Flat/Door/Block no  
Office

Name of the Premise/Building/Village

Road/Street/Post

Area/Locality

Town/City/District

Pin

State

Country

## (5) Name and address of the Employer [If employed]

Employer Name

Block no

Name of the Premise/Building

Road/Street/Post Office

Area/Locality

Town/City/District

Pin

State

Country

## 6) Details of Academic and Actuarial qualification/s obtained with dates and particulars of membership of other actuarial professional body/ies

## Academic Qualification including actuarial

Name of the Institution	Qualification/designation	Year of passing

## 7) Professional Actuarial Qualification

Name of the Actuarial Professional body	Qualification / designation	Exam Route / MRA Route	Year of admission

1. Institute and Faculty of Actuaries, UK			
2. Institute of Actuaries of Australia			
3. Others (Specify) and please give year in which examination passed, equivalent to Fellowship of Institute of Actuaries of India.			

**Method of Payment**

Cheque / DD No: \_\_\_\_\_ Dated: \_\_\_\_\_

Drawn on (name of the Bank): \_\_\_\_\_ Amount: \_\_\_\_\_

**Declaration****I hereby apply for admission as an Affiliate member of the Institute of Actuaries of India and declare that;**

1. I have not at anytime been convicted of an offence (other than violation of an Road Traffic Laws) by any court of jurisdiction in India or elsewhere.
2. I have not at any time been either in India or elsewhere censured, disciplined or publicly criticized by any professional body to which I belong or belonged or been dismissed from any office or employment or refused entry to any profession or occupation.
3. I am not subject to any of the disqualifications stated in section 11 of the Actuaries Act 2006.
4. I further understand that the decision of the Council of the Institute of Actuaries of India on this application shall be final and binding on me.
5. If you are a member of any professional body in India or elsewhere, provide details of disciplinary action, if any, taken in the past or currently under consideration by the professional body.
6. If there are any convictions in the past or any on-going cases either in the court or by any regulatory authority in any country is against you then please provide the details of the same

I also further understand that Fellow membership of the Parent body shall be kept in force as long as my Affiliate Membership is in force in terms of the rules governing such membership and that I shall automatically cease to be an Affiliate member on cessation of the Fellowship for whatsoever reasons.

**Signature** : \_\_\_\_\_**Date** : \_\_\_\_\_**Place** : \_\_\_\_\_

### DECLARATION TO BE SIGNED BY REFEREES

1. The applicant is requested to have the application form signed by two fellow members of either the Institute and Faculty of Actuaries, UK, The Institute of Actuaries of Australia or Institute of Actuaries of India. Members of the applicant's own family cannot be accepted as referees.
2. The applicant should so far as can be judged by the referees, be a person suitable for membership of the Institute of Actuaries of India who could be relied upon to maintain the standards of the Institute.

**Referee 1:**

**I know the applicant and, to the best of my knowledge and belief, consider him/her to be a fit and proper person to be an Affiliate member of Institute of Actuaries of India.**

Name:	
Fellowship No:	
Name of the Actuarial body	
Address:	
<b>Signature:</b> <b>Date:</b>	

**Referee 2:**

**I know the applicant and, to the best of my knowledge and belief, consider him/her to be a fit and proper person to be an Affiliate member of Institute of Actuaries of India.**

Name:	
Fellowship No:	
Name of the Actuarial body	
Address:	
<b>Signature:</b> <b>Date:</b>	

**Schedule F**  
**Form H**  
[See regulation 5(4)]  
**Certificate of Membership (Associate)**

(Performa – latest form will be available on website)

**INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA**  
**(Emblem)**

**Date: DD/MM/Year**

**Membership No.....**

This is to certify that .....of .....was admitted as an Associate of the Institute of Actuaries of India on the .....day of .....20.....

Given under the Common Seal of the Institute of Actuaries of India, this .....day of .....20.....

(Seal)

President

Hon. Secretary

**Schedule G**  
**Form I**  
[See regulation 4(4)]  
**Certificate of Membership (Fellow)**

(Performa – latest form will be available on website)

**INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA**  
**(Emblem)**

**Date: DD/MM/Year**

**Membership No.....**

This is to certify that .....of .....was admitted as a Fellow of the Institute of Actuaries of India on the .....day of .....20.....

Given under the Common Seal of the Institute of Actuaries of India, this .....day of .....20.....

(Seal)

President

Hon. Secretary

**Schedule H**  
**Form E**  
[See regulation 3(3) a]  
**Examination application form**

(Proforma – latest form will be available on website)

Student Profile

Registration Form

**Section 1 – Personal Details**

Name: Mr/ Mrs/ Ms/ Dr (Mandatory)

First name	Middle name	Surname
------------	-------------	---------

Profile Picture

IAI Membership No:

Gender:

Date of Birth:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Year of Admission:

Next Subscription Due Date:

Member Category:

**PERMANENT ADDRESS:**

Flat/Door/Block no

Name of the Premise/Building/Village

Road/Street/Post Office

Area/Locality

Town/City/District

Pin

State

Country

**Points to remember**

Candidates must read the following instructions carefully for strict compliance

- 1) If your subscription status is up-to-date i.e "Active" then only you will be allowed to appear for examination.
- 2) Verify your personal details before proceeding towards registration for e.g. your correspondence address, Contact number & Email ID. Please note that the Email ID mentioned will be used for all the future communications by the institute. Click on the "Edit profile" tab to update your details.
- 3) You can select only those subjects to appear for the examination of which you have purchased the study material.
- 4) You can appear for maximum of three subjects in one exam diet.
- 5) You will only be allowed to select one centre for one exam diet.
- 6) Change of centre is allowed till XXXXX.
- 7) You can add the subjects by adhering to the same process as followed while registering for the first time.
- 8) While registering second time for different subject (if any), the centre selection will be disabled. You can change the centre only after successful registration of the second subject(s).
- 9) Once registered successfully, withdrawal from examination is not allowed.
- 10) Once registered successfully, you will not be allowed to change the subject.
- 11) You will be able to download the hall ticket after making the subscription payment.
- 12) Hall ticket will be made available to download under your respective member login by XXXX
- 13) Any special request needs to be communicated to XXXX before the last day of the examination registration

"I have read, understood and agree to be bound by the examinations Rules and Regulations and also the Professional Conduct Standards, as in force from time to time."

"In submitting this form I confirm I have read and understood the examination policies and the instructions issued. Submission of this form allows the Institute of Actuaries of India to publish the names of successful candidates."

| I accept |

**Registration Form**

**Note:** You will be able to view only those subjects for which you have purchased study material. Those candidate who have purchased the study material but are not able to view their subject, are requested to email to Ms. Nilima at [studymaterial@actuariesindia.org](mailto:studymaterial@actuariesindia.org) with following details.

Subject	Amount (INR)	Select	Comment
CT2	2000	<input type="checkbox"/>	Not Registered

**Confirm**

Website best viewed in IE8, Opera, Chrome, Firefox & Safari with the resolution of 1024 x 768 & Above  
Copyright © 2012 Actuaries India. All Rights Reserved. Website maintained by IT Team of Institute of Actuaries of India

**Schedule I**  
**Form K**  
**[See regulation 3(3) b]**  
Month/Year..... Examination Hall Ticket


**Name:** XXXXXXXXXXXX

**Member Id:** IAI-XXXXXX

**Centre Code:** X

**Centre Name:** XXXXXXXXXX

**Centre Address:** XXXXXXXXXXXXXXXX



**Centre Coordinator:** XXXXXXXXXXXXXXXX  
**Telephone No:** XXXXXXXXXXXXXXXX

---

Subject	Roll No	Exam Date
CT1	XXXXXXX	DDMMYYYY, 10:30-13:30 Hrs
CT3	XXXXXXX	DDMMYYYY, 10:30-13:30 Hrs

#### **IMPORTANT INSTRUCTIONS TO EXAMINEES**

Candidates must read the following instructions carefully for strict compliance. Infringement of any of these instructions will render the candidates liable for disciplinary action which may lead to cancellation of results of the examination and / or membership registration.

- Please produce **the Hall ticket with Photo Identity card issued by the Institute**. Please note that no other Identity card will be accepted.
- Candidates are required to bring Actuarial Table for the examination, wherever required. However, it should not contain any pen/pencil marking.
- **“Attendance Certificate”**, if required, may be obtained from Local Supervisor.
- Candidates must bring in the following to the examination centre failing which they shall not be allowed to enter into the examination hall:
  - a) Hall Ticket
  - b) Photo Identity Card issued by IAI.
- Candidates will be allowed to enter the Examination Hall 15 minutes before the time specified for the commencement of the examination. Candidates should be seated 10 minutes before the start of each paper at the correct desk according to the roll no. printed on their Hall Ticket. The superintendent and the invigilators have been advised to verify the identity of each candidate at the time of entry into the examination hall. Each candidate should, therefore, show his / her Hall Ticket and Identity Card to the invigilator/ supervisory staff before entering into the examination hall.
- The Hall Ticket and Receipt for Examination will be available on the IAI website under your respective login.
- No Candidate shall be allowed to enter into the Examination Hall after the expiry of 30 minutes of the commencement of examination nor leave the examination hall during the entire 3 hour duration of the exam.
- After the completion of the 3 hours exam no candidate should leave or will be allowed to leave the Examination Hall :
  - a) Without signing the attendance sheet
  - b) Without properly handing over his/her Question Paper and answer booklet to the Invigilator.
- No candidate shall bring with him/ her into the Examination Hall or carry on his / her person, any paper, book (except Actuarial Table), handwritten or printed notes, mobile phone, pager, digital diary or any other communication device or material whether or not it has any relevance to examination, nor shall he / she communicate with any candidate by any other means in the Examination Hall or Examination Centre premises while the examination is in progress.
- Candidates are required to write answers to Question Papers in their own handwriting with pen/ ball-point pen in blue or black ink and in no other colour ink. Writing answers with red or green ink is prohibited. Accordingly, candidates are advised to bring their own pen, pencil, scale, ink pot and calculator for their use.
- Candidates may be allowed to use Electronic Calculators provided they do not have the memory that can retain text or formulae previously keyed in. Irrespective of the use of calculator, candidates are advised to invariably show all

important steps and working notes relating to solutions of practical problems along with their answers. Rough work done should be marked as “ROUGH WORK for Questions No. ....” and scored off by drawing a line across the written material. Rough work could be done on the back side of the ruled sheet. Exchange of calculators or any other item / material shall not be permitted in the Examination Hall.

- On receipt of the answer booklet, first of all, every candidate must write his / her Roll number in the bottom right corner of the answer booklet. The total number of pages used should be mentioned on the first page of the answer sheet. You need to ensure that the invigilator has signed on the first page of your answer booklet and any other extra sheet taken by you for writing the examination. Further, every candidate is expected to satisfy himself/ herself that he / she has received correct and complete question paper and verify it with reference to the Examination Time – Table and Programme, and see that the total number of questions and printed pages are in order.
- Candidates are warned that writing of any matter on Question Paper, Hall Ticket, Identity Card, Scale , etc. , or taking any paper
  - (s) from the Examination Hall shall be viewed seriously and entail disciplinary action.
- Candidates must not write any irrelevant matter, criticism of question paper, any sort of appeal to examiners, salutation or invocation to God, etc., anywhere in the answer sheet/s. This will invite disciplinary action.
- Candidates should write answers only on ruled sides of the answer sheet/s. In order to avoid wastage and possibility of misuse, candidates will be issued additional answer sheets only on demand after they have completely used the answer booklet provided to them initially at the start of the examination. Any attempt to tamper with the answer booklet shall tantamount to misconduct.
- Each question should be started on a fresh page and sub – question (s) of the same question should be attempted in a consecutive order. While attempting a fresh question or sub – question, the candidate must clearly and prominently mention respective question number before the answer, in bold capital letters.
- Candidates are expected to write precise and to – the – point answers to the questions in neat and legible handwriting. Candidates are advised that a reasonable standard of handwriting legibility is expected by the examiners and that candidates may be penalized if undue effort is required by the examiners to interpret scripts.
- On completion of examination, the answer booklet and question paper must be handed over immediately to the Invigilator on duty separately.
- It shall be the personal responsibility of the candidate concerned to properly hand over his / her answer booklet even if blank, to the Invigilator concerned on duty in the Examination Hall. Any representation regarding omission to surrender the written answer booklet or part thereof in the Examination Hall at the time of handing over his / her Answer Booklet, for any reason whatsoever, shall not be entertained after the examination in that paper is over.
- It is brought to your notice that in accordance with provisions contained in the Professional Conduct Standards, if any candidate is found copying or involved in any other form of malpractice, during or in connection with the examination, disciplinary action will be taken against the candidate which may include expulsion or suspension from the membership of IAI also.
- The candidates appearing for CA, ST and SA series examination will be given 15 minutes at the start of the examination for reading the Question Paper. The candidates are strongly encouraged to use this time for reading only, but notes may be made. The candidates then have three hours to complete the paper. They should not start writing the answers in the answer booklet before the start of the examination.
- The Candidates are advised to email Ms. .... at .....@actuariesindia.org for the issues relating to the examination. Queries which are received within 15 days of completion of examination will only be entertained.
- **SMOKING, CHEWING OF TOBACCO, BETEL, INTOXICANT, CARRYING OF MOBILE PHONE, ETC., IS STRICTLY PROHIBITED INSIDE THE EXAMINATION HALL.**

Note: This is a computer generated hall ticket thus requires no signature.

**Schedule J****Form F**

[See regulation 10 (2)]

**Form of application for the issuance of a Certificate of Practice**

(Performa – latest form will be available on website)

To  
 The Executive Director  
 The Institute of Actuaries of India

Dear Sir,

1. I am enclosing a cheque/draft No..... dated.....for Rs.....towards the fees for the year.....as per details given below:-
2. I confirm that I have fulfilled all the qualification as specified by the Council in section 11 of the “Institute of Actuaries of India(Entry of names in Register of Members, Examination and Training Fee Payable, Manner of Choosing Honorary Members, admission of Affiliate Members, Student Members and Issuance of Certificate of Practice) Regulations, 2016”.
3. I request that the Certificate of Practice may be issued at an early date.

Place:

Date:

Yours faithfully

Signature  
 Membership Number

**Schedule K****Form J**

[See regulation 10(4)]

**Certificate of Practice (fellow)**

(Performa – latest form will be available on website)

**INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA**  
(Emblem)**Date**

Name:.....

Membership No. ....

Area of Practice.....

This Certificate of Practice is issued subject to the provisions of the Institute of Actuaries of India (Examination and Training, Manner of Making an Application, Fees Payable, Manner of Choosing Honorary Members, Terms and Conditions for Admission of Affiliate Member, Academic Qualifications for Admission of a Student Member and Qualifications required for a Certificate of Practice) Regulations, 2015 or modifications and/or amendments thereof. The Certificate shall be effective from .....day of .....20 until .....day of .....20.

Given under the Common Seal of the Institute of Actuaries of India, this .....day of .....20.....

(Seal)

President

Executive Director